UPJS010056422022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1646
सत्र परीक्षण सं०–921/2022

राज्य -- **अभियोजक।**

प्रति

दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल कोरी उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी–23/8 काशीराम कालोनी, थाना–सीपरी बाजार, जनपद झाँसी।

------------------------------ **अभियुक्त।**

अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं०
थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी।
मुकदमा अपराध संख्या–401/2022

UPJS010057952022

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–957/2022

राज्य ------------------------------ **अभियोजक।**

प्रति

दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल कोरी उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी–23/8 काशीराम कालोनी, थाना–सीपरी बाजार, जनपद झाँसी।

------------------------------ **अभियुक्त।**

अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी।
मुकदमा अपराध संख्या–402/2022

निर्णय

हस्तगत प्रकरण सत्र परीक्षण संख्या–921/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध धारा–302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी एवं उक्त अपराध से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–957/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध धारा –4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी द्वारा आरोप–पत्र प्रेषित किये गये, जिन पर विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर अपराध का विचारण किया गया।

सत्र परीक्षण संख्या–921/2022, मुकदमा अपराध संख्या–401/2022 से सम्बन्धित हिन्दी तहरीर वादी प्रदर्श क–1 के अनुसार संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती अंगूरी पत्नी स्व० श्री भगवानदास अहिरवार, निवासी–23/12 काशीराम कॉलोनी (नयी बिल्डिंग)थाना–सीपरी बाजार, जिला झाँसी की रहने वाली है। दिनांक 17–08–2022 समय शाम लगभग 7.45 बजे मैं अपने पति भगवानदास के साथ

घर पर थी। तभी हमारी कालोनी में रहने वाला दिनेश वर्मा (कोरी) पुत्र मुन्नालाल निवासी–23/8 काशीराम कालोनी, थाना–सीपरी बाजार, जनपद झाँसी से कचरे को लेकर विवाद हुआ जिसमें दिनेश वर्मा ने मेरे पति भगवानदास की छाती पर चाकू से चार–पाँच बार चाकू मारा व गर्दन मुँह पर भी चाकू मारा जिससे मेरे पति बेहोश हो गये व एम्बुलेंस से रास्ते में लेकर जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी। इस घटना को मौके पर लोगों ने देखा। अतः महोदय से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

सत्र परीक्षण संख्या–957/2022, मुकदमा अपराध संख्या–402/2022 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व फर्द बरामदगी प्रदर्श क–8 के अनुसार संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 18.08.22 को मैं प्रभारी निरीक्षक देवेश शुक्ल मय हमराही कां० 684 अजय गुप्ता, कां० 230 धर्मेन्द्र कुमार, कां० 124 दीपक खैनवार, म०कां० 1260 रचना मय गाड़ी सरकारी व चालक ब्रजभूषण के थाना स्थानीय से बहवाले रपट संख्या–04 समय 00.40 बजे रवाना होकर मु०अ०सं०–401/22 धारा–302 भा०दं०सं० बनाम दिनेश वर्मा की विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये नामजद अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल, निवासी –काशीराम कालोनी की पतारसी सुरागरसी में मामूर था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि अभियुक्त दिनेश वर्मा इस समय शिवानी तिराहे पर मौजूद है जो कहीं बाहर भागने के लिये गाड़ी का इन्तजार कर रहा है यदि शीघ्रता किया जाए तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान व मुखबिर के काशीराम कालोनी के सामने से चलकर शिवानी तिराहे से कुछ पहले पहुंचे तो देखा कि शिवानी तिराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसे देख पहचान कर मुखबिर ने इसारे से बताया कि यही दिनेश वर्मा है और मुखबिर गाड़ी से उतरकर पीछे की ओर चला गया कि गाड़ी सरकारी को रोड के किनारे मय चालक के छोड़कर मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान छिपते–छिपाते शिवानी तिराहा पर आए ये व्यकि हम पुलिस वालो को देखते ही भागना चाहा जिसे दौड़कर हमराही कर्मचारीगण की मदद से समय करीब 13.30 बजे पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम दिनेश वर्मा पुत्र मुन्ना लाल वर्मा निवासी 23/8 काशीराम कालोनी थाना सीपरी बाजार झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष बताया है। जो मु० उपरोक्त में नामजद एवं वांछित अभियुक्त है अतः अभियुक्त दिनेश वर्मा उपरोक्त को बाद बताने वजह गिरफ्तारी नियमानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देश एव आदेशों का पालन करते हुये गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किये गये। अभियुक्त उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाईल की– पैड वाला रंग काला IMEI 911624550454909, 911624550454917 बरामद हुआ। जिसे कब्जे में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के पहने हुए फुल शर्ट में आगे की तरफ जावजा खून लगा है तथा आगे की तरफ बटन के पास फटी हुई है जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि भगवान दास को मारते मय उसके खून के छीटे मेरी शर्ट में पड़ गये थे शर्ट को उताराकर व शिलशिले साक्ष्य कब्जे में लेकर मौके पर ही सर्व मोहर करके नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्त को विश्वास में लेकर आला कत्ल चाकू के बारे में पूछा गया तो बताया कि भगवान दास को मारने के बाद मैनें भागते समय चाकू को कालोनी के पीछे रेलवे लाइन के पास्र छिपा दिया था यदि आप मुझे वहाँ पर ले चले तो मैं वह चाकू वहाँ से ढूंढकर आपको दे सकता हूँ इस पर गवाही हेतु जनता के व्यक्तियों से कहा गया परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ मजबूरन मैं प्रभारी निरीक्षक हमराहीयान व अभियुक्त के चलकर काशीराम कालोनी के सामने आया जहाँ पर अभियुक्त ने गाड़ी रूकवाया और गाड़ी से उतरकर हम पुलिस वालों के आगे–आगे चलकर रेलवे लाइन के पास आया रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियो में घुसकर वहाँ से एक अदद चाकू निकालकर जिसका मुठिया लोहा का करीब पांच अंगुल जिसमें धागा व कपड़ा लिपटा है फल लोहा का नुकीला ग्यारह अंगुल जिसमें दोनो तरफ धार है फल में खून लगा हुआ समय करीब 14.00 बजे मुझ प्रभारी निरीक्षक को दिया और बताया कि मैनें इसी चाकू से भगवान दास को मारा था अतः उक्त चाकू को कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सर्व मोहर करके नमूना मोहर बनाया गया अभियुक्त का यह कृत्य धारा–4/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय

अपराध है। अतः अभियुक्त को इस जुर्म से भी अवगत कराया गया। फर्द मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा बोलकर हमराह कां० 230 धर्मेन्द्र कुमार से लिखवाकर पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर गवाहान व अभियुक्त बनवाए गये। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गई। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिवारीजन को थाने पहुँचकर दी जायेगी। नाजायज शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अलग से शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा।

वादिया मुकदमा की ओर से थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी में प्रस्तुत शिकायती प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 दिनाँकितः–18–08–2022 के आधार पर अभियुक्त दिनेश वर्मा कोरी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 धारा–302 भा०दं०सं० के तहत दिनाँकः–18–08–2022 को समय 00.40 बजे अंकित की गयी, जिसकी प्रविष्टि उसी समय दिनांकः–18–08–2022 को समय 00.40 बजे रोजनामचा संख्या–004 के तहत की गयी तथा फर्द बरामदगी दिनांकः–18–08–2022 के आधार पर अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–402/2022 प्रदर्श क–5 धारा–4/25 आयुध अधिनियम के तहत दिनांकः–18–08–2022 को समय 16.47 बजे अंकित की गयी जिसकी प्रविष्टी उसी समय दिनांक 18–08–2022 को समय 16.47 बजे सामान्य दैनिकी में रोजनामचा सं०–050 के तहत की गयी।

प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक द्वारा मामले में विवेचना संपादित कर मुकदमा अपराध संख्या–401/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध धारा–302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र **प्रदर्श क–19** व मुकदमा अपराध संख्या–402/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र **प्रदर्श क–18** प्रेषित किया जाना अभिवर्णित है।

अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप –पत्रों के आधार पर विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

सत्र परीक्षण सं०–921/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध दिनाँकः –15–03–2023 को अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० एवं सत्र परीक्षण सं०–957/2022 में अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध दिनांकः –15–03–2023 को अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध में आरोप विरचित किये गये, जिनसे अभियुक्त ने इंकार किया तथा मामले के परीक्षण की याचना की।

अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में **सत्र परीक्षण सं०–921/2022 सरकार बनाम दिनेश वर्मा** में निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तुत किए गएः–

क्रम सं०	**प्रपत्र**	**संख्या जिससे प्रदर्शित किया गया हो**	**साक्षी जिसके द्वारा सिद्ध किया गया हो**	**टिप्पणी**
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्ल्यू०–1	–
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी०डब्ल्यू०–2	–
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी०डब्ल्यू०–3	–
4.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–4	पी०डब्ल्यू०–3	–
5.	नक्शा–नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क–7	पी०डब्ल्यू०–5	–
6.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० की रसीद	प्रदर्श क–9	पी०डब्ल्यू०–5	–
7.	नक्शा बरामदगी स्थल आलाकत्ल चाकू रक्त रंजित	प्रदर्श क–10	पी०डब्ल्यू०–5	–

8.	पंचायतनामा मृतक भगवानदास अहिरवार	प्रदर्श क–11	पी०डब्ल्यू०–5	–
9.	पुलिस प्रपत्र	प्रदर्श क–12 लगायत प्रदर्श क–16	पी०डब्ल्यू०–6	–
10.	आरोपपत्र	प्रदर्श क–19	पी०डब्ल्यू०–8	–

अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में **सत्र परीक्षण सं०–957/2022 सरकार बनाम दिनेश वर्मा** निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तुत किए गएः–

क्रम सं०	**प्रपत्र**	**संख्या जिससे प्रदर्शित किया गया हो**	**साक्षी जिसके द्वारा सिद्ध किया गया हो**	**टिप्पणी**
1.	फर्द बरामदगी एक अदद चाकू रक्त रंजित आला कत्ल	प्रदर्श क–8	पी०डब्ल्यू०–5	–
2.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी०डब्ल्यू०–4	–
3.	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–6	पी०डब्ल्यू०–4	–
4.	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–17	पी०डब्लू०–7	–
5.	आरोपपत्र	प्रदर्श क–18	पी०डब्ल्यू०–7	–

अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन ने मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादिया मुकदमा अंगूरी, अभियोजन साक्षी संख्या–2 डॉ० डी०के० राय, अभियोजन साक्षी संख्या–3 हे०कां० लवकुश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–4 हे०कां० कृष्ण कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–5 निरीक्षक देवेश शुकला, अभियोजन साक्षी संख्या–6 उपनिरीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव, अभियोजन साक्षी संख्या–7 उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–8 निरीक्षक जगदीश प्रसाद पाल परीक्षित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसके कारण अभियोजन पक्ष का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे खिलाफ गलत मुकदमा लिखाया है एवं वादिया के प्रभाव में गलत मुकदमा पंजीकृत किया है एवं गलत बरामदगी दिखाते हुए फर्जी कार्यवाही की है एवं गलत साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया है एवं मुकदमा रंजिशन झूठा चला। मुझे मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ । मैं शरीर से कमजोर हूँ। मेरा पेट, पित्त की पथरी, आँत चिपकने के कारण तीन ऑपरेशन हुयें हैं तथा अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

बचाव पक्ष की ओर से अपनी सफाई साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी० डब्लू०–1 लखपतराम अहिरवार एवं डी० डब्लू० –2 शकील को परीक्षित कराया है।।

निष्कर्ष

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक)तथा प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–1 अंगूरी** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 17–08–2022 समय शाम लगभग 07.45 बजे की बात है, मैं और मेरे पति भगवानदास घर पर थे। कि तभी हमारी कालोनी में रहने वाला दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल

निवासी 23/8 काशीराम कालोनी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी आ गया था जो जीने के पास गंदगी व कचरा फैलाता था जिसको मेरे पति मना करते थे, बुराई मानने लगा था आकर विवाद करने लगा। मैं भी पति के साथ सीढ़ियों के पास आ गयी हल्ला मचाया तो दिनेश वर्मा जो एक चाकू लिये था, मेरे पति भगवान दास को जान से मारने की नियत से उनकी छाती व गर्दन पर चाकू से वार किये जिससे मेरे पति घायल होकर मौके पर ही गिर गये हल्ला सुनकर मु० जॉन, लखपत अहिरवार व मु० सानू मौके पर आ गये जिन्होंने घटना को मौके पर देखा। मुल्जिम को पकड़ने दौडे तो दिनेश वर्मा चाकू दिखाकर नीचे उतर कर रेलवे लाइन की ओर भाग गया। घटना की सूचना किसी ने मेरे बेटे भारत को दी। कुछ समय बाद भारत, राहुल उर्फ भानू व भूपेन्द्र आ गये तथा घायल अवस्था में मेरे पति भगवान दास को टैक्सी में लादकर ले गये, वहीं पर एम्बुलेंस भी आ गयी जिससे अस्पताल ले जा रहे थे कि मेरे पति की रास्ते में ही मृत्यु हो गयी। जब मेरे पुत्र लौटकर आये तब मैंने अपने रिश्तेदार रविन्द्र कुमार को घटना बताकर बोलकर एक प्रा० पत्र 18.08.22 को लिखवाकर उसे रविन्द्र से सुनकर अपने ह० करके रात में ही करीब 12.30 बजे थाने पर जाकर रिपोर्ट हेतु दिया था। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5ए देखकर कहा कि यह वही प्रा०पत्र है जो मैंने बोलकर लिखवाया था व सुनकर अपने ह० किये थे। मैं अपने ह० की शिनाख्त करती हूँ तथा प्रा०पत्र में लिखी इबारत को तसदीक करती हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। थाने से मुझे रिपोर्ट की एक प्रति दी गयी थी व मेरे ह० कराये गये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–4 ए/1 लगायत 4ए/2 देखकर कहा ऐसी ही एक रिपार्ट की प्रति मुझे दी गयी थी तथा अपने ह० की शिनाख्त की जिसे लाल घेरे से घेरा गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे व मैंने विवेचक को घटना स्थल का निरीक्षण भी कराया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–2 डॉ० डी० के० राय** नेत्र सर्जन जिला चिकित्सालय, झाँसी की साक्ष्य में आया है किदिनांक 18–08–2022 को पोस्टमार्टम हाऊस मेडीकल कॉलेज झाँसी में मेरी ड्यूटी लगी हुयी थी। दौरान ड्यूटी मेरे समक्ष अपराह्न 03.10 बजे मृतक भगवानदास अहिरवार पुत्र दीवान अहिरवार उम्र 52 वर्ष निवासी –23/2 काशीराम कालोनी न्यू थाना सीपरी बाजार झाँसी का सील मुहर शव पोस्टमार्टम हेतु लाया गया। जिसे थाना सीपरी से सीपी 62 कपिल चाहर, सीपी 759 शिवम कुमार लेकर आये थे। शव की शिनाख्त लखन पुत्र प्रकाशचंद्र निवासी –810 रस बहार कालोनी थाना सीपरी बाजार (भाई) एवं राजेश कुमार पुत्र हरीराम निवासी कुम्हरार थाना मोंठ (ममेरे भाई) ने की। शव की लंबाई 174 सेमी० एवं मध्यम कद काठी का था। शव के शरीर पर केवल एक सफेद अंडरवियर था। शव के पैरों में अकड़न उपस्थित थी। परंतु गर्दन एवं अपर लिंब में जा चुकी थी। आंख आधी खुली थी।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें–</u>

इनसाइज वुड–

1. दाहिनी कॉलर बोन के मध्य भाग से 01 सेमी नीचे छाती पर था। जिसकी लंबाई 02 सेमी 0.5 सेमी थी एवं गहराई 08 सेमी थी।
2. दाहिनी कॉलर बोन के अंदरूनी सिरे पर 01 सेमी x 0.5 सेमी x 0.5 सेमी गहरा।
3. बांयी निपल से 09 सेमी अंदर की तरफ बांयी ओर छाती पर जिसका आकार 02 सेमी x 0.5 सेमी x 10 सेमी गहरा था।
4. दाहिनी कांख में दाहिनी निपल से 09 सेमी बाहर की तरफ जिसका आकार 02 सेमी x 0.5 सेमी x 10 सेमी गहरा था।

<u>अंतः परीक्षण–</u>

सिर में कोई जाहिराना चोट नहीं थी। मस्तिष्क का वजन 1310 ग्राम था।.

छाती–दाहिनी चौथी पसली में फ्रैक्चर था। जो दाहिनी कांख के नीचे आयी चोट से संबंधित था। बांयी चौथी पसली में फ्रैक्चर था जो छाती के बांयी तरफ आये कटे घाव के नीचे था। दाहिना फेफड़ा कांख के नीचे आयी चोटों से कटा फटा था। बांया फेफड़ा छाती के बांये और कटे भाग के नीचे कटा फटा था। छाती के अंदर एक लीटर रक्त मौजूद था। पेट में 50 ग्राम

अधपचा खाना पाया गया। छोटी आंत में पचा भोजन व गैस व बड़ी आंत में मल एवं गैसें मौजूद थीं।

<u>अभिमत–</u> मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम किये जाने के एक दिन के अंदर है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों से होने वाले सदमे और रक्त स्राव के कारण हुयी है।

मुझे शव के साथ 08 प्रपत्र प्राप्त हुये थे। पी० एम० रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। अपनी मुहर भी लगायी थी। रिपोर्ट मैंने अपने हस्तलेख में तैयार की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं० –16ए/1 लगायत 16ए/7 को देखकर कहा कि यह वही पी०एम० रिपोर्ट है। तसदीक करता हूँ अपने ह० की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–02** डाला गया। साथ आये कान्सटेबल को शव के साथ प्राप्त पेपर पी०एम० रिपोर्ट व शव एवं कपड़े सुपुर्द किये थे तथा उसका हस्ताक्षर भी करवाया था। हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं० –18ए/1 लगायत 18ए/2 पंचायतनामा, 18ए/3 जीडी, 18ए/4 पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, 18ए/5 नमूना सील, 18ए/6 पुलिस फार्म नं–33, 18ए/7 चालान शव विच्छेदन, 18ए/8 फोटोनाश को देखकर कहा कि इन प्रपत्रों पर मुहर लगाकर अपना हस्ताक्षर किया था इनकी मैं पुष्टि करता हूँ।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या –3 हेड कां० लवकुश सिंह** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 18–08–2022 को मेरी ड्यूटी कार्यलेख पर थी। उसी समय थाने पर उपस्थित आई अंगूरी पत्नी भगवानदास अहिरवार निवासी –23/12 काशीराम कालोनी नई बिल्डिंग व उनके साथ उपस्थित आये उनके पुत्रगण रविन्द्र व अंगूरी द्वारा एक लिखित अपने हस्ताक्षंरित प्रार्थना पत्र जो रविन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया था, दिया। एस०एच०ओ० के मौखिक आदेश से मेरे द्वारा उक्त प्रा०पत्र के आधार पर अ०सं० –401/2022 धारा–302 आई०पी०सी० बनाम दिनेश वर्मा कोरी पुत्र मुन्नालाल निवासी – काशीराम कालोनी के विरूद्ध कंप्यूटर पर बोलकर हे०का० –80 राजेन्द्र कुमार से टाइप कराकर एफ०आइ०आर० तैयार करायी थी। जो मुताबिक प्रा०पत्र शब्द व शब्द टाइप करायी थी। जिसका प्रिंट लेकर उस पर थाना प्रभारी के ह० कराये थे व उसकी एक प्रति वादिया अंगूरी को दी थी व वादिया के भी हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5ए को देखकर कहा यह वही प्रा०पत्र है इसी के आधार पर मैंने एफ०आइ०आर० तैयार करायी थी तथा प्रा०पत्र के पीछे मु०अ०सं० व धारा का उल्लेख कर थाने की मुहर लगाकर अपने ह० किये थे। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–4ए/1 लगायत 4ए/2 चिक एफ०आइ०आर० देखकर कहा यह वहीं एफ०आइ०आर० है जो मैंने कंप्यूटर पर बोलकर तैयार करायी थी। इस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर करवाये थे व वादिया के भी हस्ताक्षर करवाये थे। मैं हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ तथा लिखी इबारत को तसदीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–03** डाला गया। जी०डी० दिनांक 18–08–22 को ही 00.40 बजे तैयार करायी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलन कागज सं०–7ए/1 को देखकर कहा कि यह वही जी०डी० है। तसदीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–04 डाला गया। इस संबंध में विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–4 हेड कान्सटेबल कृष्ण कुमार** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 18–08–2022 को मेरी ड्यूटी कार्यलेख पर थी। उसी दौरान प्रभारी निरीक्षक देवेश शुक्ला मय हमराह अभियुक्त दिनेश वर्मा के साथ मय सील मुहर बंडल चाकू के थाने पर उपस्थित आये। उनके द्वारा दी गयी फर्द के आधार पर मैनें कंप्यूटर पर स्वयं टाइप कर एफ०आइ०आर० नं०–402 दिनांकित 18–08–2022 समय 16.47 बजे धारा–4/25 आयुध अधि० के अंतर्गत अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल वर्मा निवासी–काशीराम कालोनी के विरुद्ध तैयार की थी। जिसके प्रिंट पर प्रभारी निरीक्षक से हस्ताक्षर करवाये थे। जिसका खुलासा जी०डी०–50 दिनांकित 18–08–22 समय 16.47 बजे किया था जिसमें आला कत्ल चाकू, एक अदद मोबाइल की पेड, एक अदद शर्ट रक्तरंजित, सील सर्वमहर मय नमूना मुहर फील्ड यूनिट से प्राप्त ब्लड स्वेब खूनालूद मिट्टी व

सादा मिट्टी एक अदद टयूबर्ग बीयर व एक अदद बडवाइजर की कैन बोतल सील सर्वमहर मय नमूना मुहर मय अदद फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पत्र दाखिल किये थे। सूचना जरिये आर०टी० सैट से उच्चाधिकारियों को दी थी। चिक को उचित माध्यम से उच्चाधिकारियों को भेजा था। चिक मुताबिक फर्द शब्द व शब्द तैयार की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–4ए/1 लगायत 4ए/2 जो सत्र वाद सं०–957/2022 की पत्रावली में संलग्न है, को देखकर कहा कि यह वही चिक एफ०आइ०आर० है जो मैंने कंप्यूटर पर तैयार की थी व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर करवाये थे। चिक एफ०आइ०आर० को तसदीक करता हूँ व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ , जिस पर **प्रदर्श क–05** डाला गया। फर्द के पीछे उन्मान लिख कर अपने हस्ताक्षर किये थे। फर्द 5ए के पुश्त पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। कागज सं०–7ए को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही जी०डी० है जिसको मैं तसदीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–06** डाला गया। इस संबंध में विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–5 निरीक्षक देवेश शुक्ला** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 18–08–2022 को मैं प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार झाँसी में तैनात था। मेरी मौजूदगी में अपराध पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। कार्यालय से प्राप्त नकल चिक, नकल रपट के प्रपत्र प्राप्त हुये जिसके आधार पर मैंने मु०अ०सं०–401/22 धारा–302 आई०पी०सी० बनाम दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल के विरुद्ध सी०डी० का प्रथम पर्चा कंप्यूटर पर अंकित कराया था। जिसमें नकल चिक की नकल ,नकल रपट की नकल,अंकित कर शांति व्यवस्था व वांछित अपराधी की कार्यवाही हेतु घटना स्थल रवाना हुआ था व उ०नि० हिमांशु श्रीवास्तव को मय हमराह सुपुर्दगी जेल पंचायतनामा देकर रवाना किया था। थाने पर मौजूद एफ०आई०आर० लेखक का० राजेन्द्र कुमार व लवकुश का बयान अंकित किया। फील्ड यूनिट को घटना का विवरण बताकर घटना स्थल पर पहुँचने हेतु बताया तथा मैं स्वयं भी काशीराम कालौनी गया। वहाँ पर वादिया श्रीमती अंगूरी की तलाश की। परिजन भी मौजूद थे, जो काफी गमगीन थे। बयान वादिनी श्रीमती अंगूरी अहिरवार लिया गया। मौके पर मौजूद वादिनी के पुत्र भरत का बयान लिया। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर फोटो व वीडियोग्राफी की गयी थी। ब्लड स्वैब, खूनालूद व सादा मिट्टी कब्जे में ली गयी थी। जिन्हें मुझ थाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया था। जिसको थाना मालखाने में दाखिल कराया था तथा वादिया की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०– 10ए/2 को देखकर कहा कि यह वही नक्शा–नजरी है जो मैनें तैयार की थी जिसकी तसदीक करता हूँ। अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क –07** डाला गया। मौके पर समई साक्ष्य अंकित किये थे तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। मुखबिर को इस कार्य हेतु सक्रिय किया था। आस –पास सुराग पतारसी में मामूर था। फिर पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु मेडीकल कॉलेज पहुंच गया था। जहां से मुखबिर की सूचना कि अभियुक्त दिनेश वर्मा शिवानी तिराहे पर मौजूद है, भागने के लिये वाहन का इंतजार कर रहा है। शिवानी तिराहा आया मुखबिर ने गाड़ी रूकवायी। देख पहचान कर मुखबिर ने बताया कि यह दिनेश वर्मा है। मुखबिर चला गया। तब प्रभारी निरीक्षक स्वयं तथा हमराही कां० अजय गुप्ता, कां० धर्मेन्द्र कुमार, कां० दीपक व महिला कां० रचना व चालक बृजभूषण साथ में थे। जो दिनांक 18–08–22 को ही रपट सं०–04 से समय 00.40 बजे रवाना हुये थे, के सहयोग से करीब 13.30 बजे अभियुक्त को पकड़ा जिसने अपना नाम दिनेश वर्मा पुत्र मुनालाल वर्मा निवास –23/8 काशीराम कालोनी थाना सीपरी बाजार झाँसी उम्र 32 वर्ष बताया। दौरान गिरफ्तारी सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकारी आयोगों के आदेशों व निर्देशों का पालन किया था। गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया था। अभियुक्त की जामातलाशी से एक मोबाइल की पैड काला रंग कब्जे में लिया था। पहने हुये फुल शर्ट में अभियुक्त के जगह –जगह खून लगा था तथा बटन के पास फटी हुयी थी। अभियुक ने अपने जुर्म का इकरार किया था व बताया था कि खून के छींटे मेरे ऊपर पड़ गये

थे। जिसे कब्जे में लेकर सील मुहर किया था तथा अभियुक्त दिनेश वर्मा ने यह भी बताया कि आलाकत्ल चाकू मैनें भगवान दास को मारने के बाद भागते समय रेलवे लाइन के पास छिपा दिया है। जिसे मैं चलकर बता सकता अभियुक्त को ले जाकर रेलवे लाइन के किनारे से एक अदद चाकू निकालकर दिया। जिसमें धार थी। जिसको सील मुहर किया गया था। लिखा–पढ़ी कर फर्द तैयार की थी। जिस पर हमराहियों के हस्ताक्षर बनवाये थे। अभियुक्त से भी उसके ह० बनवाये थे तथा उसे एक कॉपी भी दी थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5ए सत्र परीक्षण सं०–957/22 में संलग्न है, को देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो मैनें बोलकर का० धर्मेन्द्र से लिखवायी थी, तसदीक करता हूँ। अपने ह० की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–08** डाला गया। जिसकी नकल केस डायरी पर अकित करायी थी। लौटकर आकर थाने पर माल मुल्जिमान व फर्द व फील्ड यूनिट द्वारा दिया गया सभी माल दाखिल किया था व अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी तैयार कर उसकी नकल केस डायरी में अंकित करायी थी। अभियुक्त को रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पर्चा नं० –02 दिनांक 19–08–22 को तैयार किया था जिसमें बयान गवाह फर्द अजय कुमार गुप्ता, दीपक खैनवार, महिला का०रचना, धर्मेन्द्र, पोस्टमार्टम कराने वाले का० शिवम कुमार अंकित कराये व गवाह लेखक तहरीर रविन्द्र कुमार अंकित कराया था। पर्चा नं० –03 में मजीद बयान गवाह भारत सिंह, राहुल उर्फ भानू प्रताप, भूपेन्द्र अहिरवार, लखपत अहिरवार अंकित किये थे। पर्चा नं० –04 में पंचायतनामा का अवलोकन व पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन कर सारांश अंकित किया था। थाने पर मौजूद उ०नि० हिमांशु श्रीवास्तव, का० शिवम मिश्रा, कपिल सिंह के बयान अंकित किये व पर्चाजात व रक्तरंजित मिट्टी व सादा मिट्टी व अन्य वस्तुये व बरामद चाकू को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल कराने की कार्यवाही अंकित की थी। पर्चानं०–05 में वि०वि० प्रयोगशाला में दाखिल किये गये रसीद का सारांश य उसे दाखिल किया था। महिला कां० वीनू सिंह का बयान अंकित किया था। पर्चा नं०–06 में बयान गवाह मो० जॉन उर्फ शकील, श्रीमती नजमा, शानू अंसारी अंकित किये। गवाह पंचायतनामा सलीम खान अंकित किया था। पर्चा नं०–07 में बयान पंचायतनामा लखन सिंह, राजेश कुमार, दिलीप कुमार अंकित किये व जिला चिकित्सालय जाकर डॉ० डी०के० राय व थाने आकर अजय कुमार मातवानी के बयान अंकित किये। पर्चा न०–08 में फील्ड यूनिट कार्यालय में आकर का० राम सिंह फौजदार का बयान अंकित किया। फील्ड युनिट द्वारा मौके से जो फोटोग्राफ लिये थे उन्हें संलग्न सी०डी० किया था, जो पत्रावली पर क्रमशः 15ए/1 लगायत 15ए/6 संलग्न है। जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ। कागज सं० –14ए वि०वि० प्रयोगशाला की रसीद है। जो मैनें दौरान विवेचना संलग्न की है। तसदीक करता हूं। हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–09** डाला गया। कागज सं०–11ए जो फील्ड यूनिट द्वारा दिया गया था, संलग्न किया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। कागज सं०–10ए/1 चाकू बरामदगी स्थल की नक्शा– नजरी है जिसको मैं तसदीक करता है अपने ह० की पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। कागज सं०–12ए गिरफतारी प्रपत्र है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। कागज सं० –13ए अभियुक्त का एम०एल०सी० प्रपत्र है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस स्तर पर एक सील मुहर बण्डल जिस पर केस नं०–178 सीरो 22 फार्वर्डिंग सीओ सदर झाँसी अ०सं०–401/22 थाना सीपरी बाजार धारा 302 आई०पी०सी० दिनेश वर्मा **प्रदर्श क–04** जिस पर हस्तक्षर व 02–11–2022 की स्लिप अंकित है, खोला गया। थैले पर **वस्तु प्रदर्श–01** डाला गया। बण्डल के अंदर से निकली एक शर्ट जिस पर कपड़ा लगा हुआ है जिस पर उन्मान अंकित है, गवाह ने अपने ह० की शिनाख्त की जिस पर अभियुक्त का ह० भी है व रिमांड मजि० के सील व ह० हैं। देखकर गवाह ने कहा कि यह वहीं शर्ट है जिसे अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय अभियुक्त से उतरवा कर खून के छींटे लगे होने के कारण कब्जे में ली थी। कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श –02** व शर्ट पर **वस्तु प्रदर्श–03** डाला गया। दूसरे बण्डल जिस पर मु०अ०सं०, धारा व अभियुक्त के नाम का उल्लेख है व अभियुक्त दिनेश व मेरे भी हस्ताक्षर हैं। व रिमांड मजि० के मुहर व ह० हैं व चाकू है, को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चाकू है जिसे मुल्जिम ने स्वयं

निकाल कर था। जिसे मैनें मौके पर सील मुहर किया था। चाकू पर वि०वि० प्रयोगशाला की पर्ची चस्पा है। कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–04** तथा चाकू पर **वस्तु प्रदर्श–05** डाला गया। तीसरा एक पारदर्शी डिब्बा जो फील्ड यूनिट द्वारा मुझ प्रभारी नि० के सुपुर्द किया था जिस पर मैनें अपने ह० किये थे। जिस पर उन्मान अंकित है व रिमांड मजि० के ह० व मुहर अंकित है। पारदर्शी डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श–06** डाला गया। डिब्बा खोलने पर उसके अंदर से निकली एक प्लास्टिक की पारदर्शी जिसके अंदर खूनालाद मिट्टी है व जिसके अंदर वि०वि० प्रयोगशाला की स्लिप भी डली हुयी है। मिट्टी पर **वस्तु प्रदर्श–07** तथा दूसरी पारदर्शी डिब्बी जिसमें सादा मिट्टी है पर **वस्तु प्रदर्श–08** डाला गया। एक पॉलीथीन जिसमे ब्लड स्वैब व वि०वि० प्रयोगशाला की पर्ची डली हुयी है, पर **वस्तु प्रदर्श–09** तथा एक नमूना कॉटन है जिस पर **वस्तु प्रदर्श–10** डाला गया। 4/25 आयुध अधि० के विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था। मुकदमें का स्थानांतरण हो जाने के कारण से मेरे द्वारा प्रकरण की विवेचना लंबित छोड़ दी गयी थी। मृतक का पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे द्वारा की गयी थी जिसमे पंचान नियुक्त किये थे। मेरे निर्देश पर उ०नि० हिमांशु श्रीवास्तव ने की थी। पंचों की राय अंकित की थी जो मेरी राय से भी मेल खाती थी जिस पर पंचों के ह० भी कराये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज स०–18ए/1 लगायत 18ए/2 देखकर कहा कि यह वही लिखापढ़ी है, तसदीक करता हूँ अपने ह० की शिनाख्त करता हूँ। मृतक के शव को सील किया था **प्रदर्श क–11** डाला गया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–6 उपनिरीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 18–08–2022 को मैं थाना सीपरी बाजार झाँसी में तैनात था। मुझे उक्त दिनांक को पंचायतनामा मृतक भगवान दास अहिरवार पुत्र दीवान सिंह निवासी–23/12 काशीराम कालौनी, की कार्यवाही हेतु थाने से का० शिवम कुमार, ह. किम सिंह, शुभम मिश्रा व कपिल चहार के साथ मॉर्चरी भेजा गया था। जहाँ पर मैंने मृतक भगवान दास अहिरवार उपरोक्त के पंचनामे की कार्यवाही समय करीब 11.15 बजे प्रारंभ कर 13.00 बजे पूर्ण की थी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक देवेश शुक्रा भी आ गये थे। जिनके बोलने पर मैनें कार्यवाही अपने लेख में की थी। मौके पर उपस्थित लोगों में से पांच लोगों को पंच नियुक्त किया गया था। जिनकी राय ली थी और उनकी राय विवेचक/प्रभारी निरीक्षक की राय से मेल खाती थी। मृतक के शव को सील मुहर कर पोस्टमार्टम के लिये का०कपिल सिंह, शुभम मिश्रा व शिवम कुमार के सुपुर्द किया था। पंचों के हस्ताक्षर कराये थे। प्रभारी निरीक्षक ने भी अपने हस्ताक्षर किये थे, मैंने भी अपने ह० किये थे। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–18ए/1 लगायत 18ए/2 पंचनामा को देखकर कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो मैनें प्रभारी निरीक्षक के बोलने पर तैयार किया था, तसदीक करता हूँ। अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर पहले से प्रदर्श क –11 डला हुआ है। कागज स०–18ए/3 जी०डी० की मँ पुष्टि कता हूँ। 18ए/4 शव विच्छेदन प्रा०पत्र, 18ए/5 नमूना सील, 18ए/6 पुलिस फार्म नं०–33, 18ए/7 चालान शव, 18ए/8 फोटोनाश देखकर गवाह ने कहा कि ये प्रपत्र मैनें तैयार किये थे। मैं अपने लेख व ह० की शिनाख्त करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–12 लगायत 16** डाला गया। इस संबंध में विवेचक द्वारा मेरा बयान भी लिया गया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या –7 उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 18–08–2022 को मैं थाना सीपरी बाजार में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। मुझे थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध सं० –402 दिनांकित 18–08–2022 बनाम दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल वर्मा निवासी–23/8 काशीराम कालौनी थाना सीपरी बाजार झाँसी अन्त० धारा–4/25 आयुध अधि० की विवेचना हेतु प्रपत्र प्राप्त हुए जिसके आधार पर मैनें केस डायरी का प्रथम कंप्यूटरीकृत पर्चा उसी दिनांक को किता किया। जिसमें थाना कार्यालय से प्राप्त नकल चिक नकल कायमी का विवरण अंकित किया था तथा थाने पर ही मौजूद एफ०आई०आर० लेखक हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार का बयान अंकित किया। हवालात में मौजूद अभियुक्त दिनेश वर्मा का बयान अंकित

किया तथा उसे डॉक्टरी हेतु माननीय न्यायालय भेजने से पूर्व भेजा गया क्योंकि अभियुक्त को 41 क के नोटिस पर छोड़ा जाता तो उसके फरार होने की पूर्ण संभावना थी। केस डायरी के प्रथम पर्चे के साथ नकल चिक, नकल रपट व गिरफ्तारी प्रपत्र संलग्न किये थे। पर्चा नं –2 किता किया जिसमें एस०एच०ओ० देवेश शुक्ला व फर्द गवाह कांस्टेबल अजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल दीपक खेनवार का बयान अंकित किया व वादी को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया जो पत्रावली पर कागज संख्या–9 ए संलग्न है। गवाह ने देखकर कहा यह वही नक्शा–नजरी है जो मैनें तैयार की थी, तस्दीक करता हूँ अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। जिसपर **प्रदर्श क–17** डाला गया। पर्चा नं० –3 में बयान फर्द गवाह महिला कांस्टेबल रचना अंकित किया। पर्चा नं–4 में कांस्टेबल धर्मेन्द्र भारती का बयान अंकित किया था। तमामी। विवेचना व संकलित साक्ष्य से अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल वर्मा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए कंम्प्यूटर पर तैयार आरोप पत्र प्रेषित किया था। जिस पर मैनें व मेरे प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। गवाह ने पत्रावली में संलग्न 3 ए/1 लगायत 3 ए/2 को देखकर कहा यह वही आरोप पत्र है, हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ तथा आरोप पत्र को तस्दीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या–8 निरीक्षक जगदीश प्रसाद** की साक्ष्य में आया है कि दिनांक 29–08–2022 को मैनें थाना प्रभारी थाना सीपरी बाजार झाँसी का चार्ज प्राप्त किया था और मुझे चल रही मुकदमा अपराध सं०–401/2022 धारा–302 आई०पी०सी० बनाम दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल कोरी निवासी –23/8 काशीराम कालौनी थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी की विवेचना पूर्व विवेचक थाना प्रभारी श्री देवेश शुक्ला के स्थानांतरण के कारण मुझे प्राप्त हुई थी जिसका पर्चा नं० –9 किता किया था। पर्चा पर्चा नं०–10 में पूर्व पर्चों की जानकारी की थी। ज्ञात हुआ था कि केस डायरी विधिक राय हेतु प्रेषित की गयी है जिस कारण से पूर्व किता पर्चों का सी०सी०टी०एन०एस० से अवलोकन किया व केस डायरी में अवलोकन को अंकित कराया था। पर्चा नं० –11 में रिमाण्ड की कार्यवाही को अंकित किया था। पर्चा नं० –12 में पूर्व विवेचक द्वारा व मेरे द्वारा की गयी विवेचना से नामजद अभियुक्त दिनेश वर्मा के विरूद्ध धारा –302 आई०पी०सी० में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र सं० –350/2022 प्रेषित किया था और विवेचना समाप्त की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या–3 ए/1 लगायत 3 ए/6 को देखकर कहा कि यह वही कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। आरोप पत्र को तस्दीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा साक्षी सं० –1 लखपतराम अहिरवार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल वर्मा को भली –भांति जानता हूँ वह मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैं भगवान दास को भी जानता था, भगवानदास मेरे पड़ोस में ही ब्लॉक में रहते थे। ये आज से डेढ़ वर्ष पूर्व शाम के साढ़े 5–6 बजे की बात है। मैं अपने ब्लॉक पर बाहर बैठा था, गर्मी का समय था। जब मैं शोर सुनकर गया तो भगवानदास के मृत शरीर को उन्ही के ब्लॉक के लोग नीचे लाकर ऑटों में रख रहे थे। मैनें भगवानदास को किसी भी व्यक्ति के द्वारा मारते हुए नहीं देखा। पुलिस ने आज तक मुझसे कोई बयान नहीं लिये। मैने आज तक यह बयान नहीं दिया कि मैने दिनेश वर्मा को भगवान दास को मारते हुए देखा। मैनें मृतक भगवानदास को तब देखा जब लोग उसकी लाश को ऑटो में रख रहे थे।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा साक्षी सं० –2 शकील ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं मृतक भगवान दास को जानता हूँ। मैं दिनेश वर्मा को भी जानता हूँ। भगवान दास रहते थे तीसरे माले पर रहते थे व दिनेश वर्मा दूसरे माले पर रहते थे। घटना आज से पौने दो साल पहले की है। मैं करीब 7.30 बजे काम से लौटकर घर पर पहुँचा । मैं घर पर पहुँचा तो मैनें शोर सुना तो मैं ऊपर गया। मैंने देखा भगवान दास ऊपर पड़े थे। फिर मैनें अपने भाई चंदा को बुलाया। मैं व मेरे भाई चन्दा भगवान दास को नीचे उतार कर नीचे लाये। शोर सुनकर ऊपर गया तो उनकी पत्नी तीसरे माले पर खड़ी थी रो रही थी और भगवान दास तीसरे माले पर पड़े थे। मैनें वहाँ दिनेश वर्मा को नहीं देखा। मेरी

पत्नी का नाम नाजमा। मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं गयी थी। मेरी पत्नी ने भी मुझे कभी नहीं बताया की उसने दिनेश वर्मा को भगवान दास को मारते हुए देखा। भगवान दास को घायल अवस्था में नीचे लाने के बाद पानी से नहलाया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को बुला दिया। हमने सी०एन०जी० ऑटों गाड़ी में चौकी पर ले गये थे। चौकी पर एम्बुलेंस आ गयी थी। तब एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे तभी भगवान दास के दोनों लड़के आ गये। फिर हम लोग भगवान दास को मेडिकल लेकर गये। पुलिस ने मेरा कभी कोई बयान नहीं लिया। गवाह को धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवान ने कहा कि मैनें ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया। पुलिस ने कैसे लिख लिया , मैं वजह नहीं बता सकता।

एस०टी०नं–921/2022, मु०अ०सं०–401/2022 अंतर्गत धारा–302 भा०दं०सं० थाना–सीपरी बाजार सरकार बनाम दिनेश वर्मा तथा एस०टी०नं० –956/2022 मु०अ०सं० अंतर्गत धारा–4/25 आर्म्स एक्ट के संयुक्त विचारण में अभियोजन कथानक एवं अभियुक्त पर आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सत्र परीक्षणों के निस्तारण में अंतर्गत धारा –354 दण्ड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित विचारण बिन्दु निर्मित किए जाते हैं–

1. क्या विचारण किए जा रहे अभियुक्त दिनेश वर्मा के द्वारा दिनांक–17.08.2022 को समय करीब 19.45 बजे स्थान काशीराम कालोनी नई बिल्डिंग अंतर्गत थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी में वादिया मुकदमा श्रीमती अंगूरी अहिरवार के पति भगवानदास को कचरे को लेकर विवाद के चलते भगवानदास की छाती, गर्दन व मुँह पर चाकू से चार–पाँच बार प्रहार करके उसकी हत्या कारित की गई ?

2. क्या विचारण किए जा रहे अभियुक्त दिनेश वर्मा के कब्जे से दिनांक–18.08.2022 को समय करीब 13.30 बजे शिवानी तिराहा चौकी ग्वालियर रोड पर उसे गिरफ्तार करने के उपरान्त पुलिस ने उसकी निशांदेही पर समय करीब 14 बजे रेलवे लाइन के किनारे से भगवानदास की हत्या में चाकू बरामद किया जिसे रखने का लाइसेन्स अभियुक्त के पास नहीं था।

1. क्या विचारण किए जा रहे अभियुक्त दिनेश वर्मा के द्वारा दिनांक–17.08.2022 को समय करीब 19.45 बजे स्थान काशीराम कालोनी नई बिल्डिंग अंतर्गत थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी में वादिया मुकदमा श्रीमती अंगूरी अहिरवार के पति भगवानदास को कचरे को लेकर विवाद के चलते भगवानदास की छाती, गर्दन व मुँह पर चाकू से चार–पाँच बार प्रहार करके उसकी हत्या कारित की गई ?

(1A) <u>अभियोजन कथानक एवं अभियोजन कथानक के तथ्य को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किये गये साक्ष्य विश्लेषण–</u>

अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक–17.08.2022 की है। घटना से संबंधित लिखित तहरीर वादिया मुकदमा द्वारा दिनांक–18.08.2022 को दी गई है और दिनांक–18.08.2022 को ही 12.40 AM पर घटना से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की गई है। घटना से संबंधित लिखित तहरीर में यह अंकित है कि वादिया मुकदमा 23/12 काशीराम कालोनी नई बिल्डिंग थाना–सीपरी बाजार जनपद झाँसी की रहने वाली है। दिनांक–17.08.2022 समय लगभग 07.45 बजे वह अपने पति भगवानदास के साथ घर पर थी। तभी उसकी कालोनी के रहने वाले दिनेश वर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी–23/8 काशीराम कालोनी से कचरे को लेकर विवाद हुआ जिसमें दिनेश वर्मा ने उसके पति भगवानदास की छाती पर चाकू से चार–पाँच वार किए, गर्दन व मुँह पर भी चाकू मारा जिससे उसके पति बेहोश हो गए। एम्बुलेन्स में रास्ते में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को मौके पर लोगों ने देखा था। अभियोजन के उक्त कथानक को पुष्ट करने के लिए अभियोजन की ओर से तथ्य की साक्षी वादिया मुकदमा अंगूरी पत्नी स्व० भगवानदास को पी०डब्लू०–1 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि दिनांक–17.08.2022 को समय लगभग 07.45 बजे वह और उसके पति अपने घर पर ही थे उसी समय उसकी कालोनी में रहने

वाला दिनेश वर्मा आ गया जो जीने के पास गंदगी व कचरा फैलाता था। उसके पति उसको मना करते थे जिसके कारण वह बुराई मानने लगा था और आकर विवाद करने लगा। वह भी अपने पति के साथ सीढ़ियों पर आ गई। हल्ला मचा तो दिनेश वर्मा जो एक चाकू लिए था उसके पति भगवानदास को जान से मारने की नियत से उनकी छाती व गर्दन पर वार किया जिससे उसके पति मौके पर ही गिर गए। हल्ला सुनकर मुहम्मद जॉन, लखपत अहिरवार व सानू मौके पर आ गए। उन्होंने घटना को मौके पर देखा। अभियुक्त को पकड़ने दौड़े तब दिनेश वर्मा चाकू दिखाकर नीचे उतरकर रेलवे लाईन की ओर भाग गया। घटना की सूचना किसी ने उसके बेटे को दी। कुछ समय बाद भारत, राहुल उर्फ भानु व भूपेन्द्र आ गए। घायल अवस्था में उसके पति भगवानदास को टैक्सी में लादकर ले गए वहीं पर एम्बुलेन्स आ गई जिससे अस्पताल ले जा रहे थे कि पति की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जब उसके लड़के लौटकर आए तब उसने अपने रिश्तेदार रविन्द्र कुमार को घटना बताकर, बोलकर एक प्रार्थनापत्र दिनांक 18.08.2022 को लिखाकर रविन्द्र से सुनकर अपने हस्ताक्षर करके रात में ही करीब 12.30 बजे थाने पर जाकर रिपोर्ट हेतु दिया था। इस साक्षी पी०डब्लू० –1 ने अपनी मुख्यपरीक्षा के बयान में **प्रदर्श क–1** के रूप में पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5 ए/1 तहरीर को प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षा के बयान में मृतक भगवानदास के ऊपर अभियुक्त द्वारा चाकू से हमला करने के बाद की स्थितियों का वर्णन किया है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि पी०डब्लू० –1 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में यह इम्प्रूवमेंट किया है कि घटना में चाकू लगने के बात मृतक को भारत, राहुल उर्फ भानु व भूपेन्द्र टैक्सी में लादकर ले गए। वहीं पर एम्बुलेन्स आ गई जिससे अस्पताल ले जा रहे थे कि उसके पति की रास्ते में मृत्यु हो गई। यह इम्प्रूवमेंट इसलिए है कि, क्योंकि वादिया मुकदमा ने अपनी लिखित तहरीर में भारत, राहुल उर्फ भानु व भूपेन्द्र के द्वारा उसके पति भगवानदास को टैक्सी में लादकर ले जाने का विवरण नहीं दिया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त तर्क में पर्याप्त बल इसलिए नहीं है, क्योंकि घटना की लिखित तहरीर में या घटना की सूचना में संपूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।

In Dharma Rama Bhargva Vs State of Maharashtra (1973) I SCC 537 Hon'ble Supreme Court ruled that FIR is not meant to be a detailed document containing chronicle of all intricate and minute details.

वादिया मुकदमा की मुख्यपरीक्षा के बयान उसके द्वारा प्रकरण को विवेचक को दिए गए बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। पत्रावली में विवेचना से संबंधित सी०डी० संलग्न है। **सी०डी०नं०–1 पृष्ठ–8 पर वादिनी मुकदमा का विवेचक को दिया गया बयान अंकित किया गया है जिसमें उसने यह कहा है कि उसके फोन पर उसके बेटे भारत सिंह व राहुल उर्फ भानु–– थोड़ी देर बाद आ गए थे तथा उसका छोटा पुत्र भूपेन्द्र भी गया था। तब सब लोगों ने मिलकर उसके पति को घायल अवस्था में टैक्सी में लादकर कालोनी के सामने से ले गए थे।** वादिनी मुकदमा के जो बयान विवेचक ने विवेचना के दौरान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया है उसमें और उसके न्यायालय में मुख्यपरीक्षा में अंकित कराए गए बयान में कोई भिन्नता नहीं है।

पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान बयान में कथन किया है कि जिस ब्लाक में वह रहती है उसमें तीन मंजिला बना है, तीनों मंजिलों में चार –चार कमरे हैं, वह तीसरे मंजिला पर रहती है जिस मकान में वह रहती थी उसमें दो कमरे, किचन, लैट्रिन–बाथरूम बना है। उक्त तीसरे मंजिल पर बाकी तीन कमरे में ताला डले थे केवल एक कमरा खुला था। उसके साथ उसके पति और तीन पुत्र भारत, राहुल और भूपेन्द्र रहते हैं और तीनों लोग काम करते हैं। दिनेश दूसरी मंजिल पर रहता था। लखपत अहिरवार और सानू दूसरे ब्लॉक में रहते हैं। उसके ब्लाक वाले दूसरी मंजिल पर जॉन रहता था, रविन्द्र उसका भांजा है जो कि नेता है और नगर निगम में पार्षद भी है। उसने कभी अपने बेटों को नहीं बताया कि दिनेश के कूड़ा डालने से पापा की कहा–सुनी होती है।

अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान पी०डब्ल्यू०–1 के प्रतिपरीक्षा के इस बयान को उद्धृत करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अभियुक्त दिनेश से मृतक भगवानदास की कूड़ा फेंकने के लिये कहा–सुनी होती या कूड़ा डालने के लिये पूर्व से विवाद रहा होता तो उस स्थिति में निश्चित रूप से वादिनी मुकदमा ने मृतक भगवानदास के पुत्रों से चर्चा की होती परन्तु उसने प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने अपने बेटों को कूड़ा डालने को लेकर अभियुक्त और मृतक के मध्य हुई कहा सुनी को बताया हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभियुक्त और मृतक भगवान दास के मध्य कूड़ा डालने के लिये कोई कहा –सुनी हुई नहीं थी। अभियोजन कथानक को रंगत देने के लिये कूड़ा डालने की बात को लेकर कहा–सुनी होने का उल्लेख किया गया है जिसका उद्देश्य अभियुक्त को झूठा फंसाना है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये इस तर्क में पर्याप्त बल इसलिये प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पी०डब्ल्यू० –1 ने उसके द्वारा दी गई लिखित तहरीर **प्रदर्श क –1** दिनांकित–18.08.2022 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त एवं मृतक के मध्य कचड़े को लेकर ववाद था। पी०डब्ल्यू०–1 ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्त दिनेश जीने के पास कचड़ा व गंदगी डाल देता था जिसको लेकर उसके पति /मृतक भगवान दास ने मना किाय था, इस कारण वह उसके पति से बुराई मानने लगा था। घटना से सम्बन्धित लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांकित–18.08.2022 में कचड़े के विवाद का उल्लेख है, पी०डब्ल्यू०–1 ने विवेचक को दिये गये बयान में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद का उल्लेख किया है, इसलिये केवल वादिनी मुकदमा पी०डब्ल्यू०–1 के द्वारा अपने पुत्रों को कचड़े व कूड़े के विवाद को लेकर मृतक भगवानदास व अभियुक्त की कहा–सुनी नहीं बताने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त व मृतक के मध्य कूड़े व कचड़े से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं था।

पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ संख्या–4 पर यह कथन किया है कि जिस सीढ़ी से हम उतरते थे, उसी सीढ़ी के पास दिनेश पन्नी आदि और खाने–पीने का सामान डाल देता था, दिनेश दूसरे तल पर आने पर जहां अभियुक्त दिनेश का कमरा है, उसके सामने जो जगह है, आने–जाने के लिये उस पर कचरा डाल देता था। उसके पति ने कूड़ा डालने पर पहले कई बार मना किया, दिनेश कूड़ा किसी भी समय डाल देता था। पी०डब्ल्यू०–1 ने अपने बयान में यह भी कथन किया है कि वह तीसरी मंजिल पर रहती है, अभियुक्त दूसरी मंजिल पर रहता है। तीसरी मंजिल पर जाने के लिये दूसरी मंजिल से होकर जाना होगा जैसा कि घटनास्थल से सम्बन्धित नक्शा–नजरी में विवेचक ने प्रदर्शित किया है। ऐसे में इस तथ्य की पूर्ण संभावना है कि अभियुक्त अपने कूड़े के सामान को जीने पर जहां से मृतक और उसके परिवार के लोग आते–जाते रहे हों डालता हो और इस बात को लेकर मृतक और अभियुक्त की पूर्व से कहा–सुनी हुई रही हो।

साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसकी स्वयं की ऑटो थी जो उसके पति चलाते थे, उसी ऑटो से अपने पति को वे पहले अस्पताल ले गये थे। प्रतिपरीक्षा के दौरान पी०डब्ल्यू०–1 ने यह भी कथन किया है कि कूड़ा डालने से पूर्व उसका दिनेश से कोई रंजिश नहीं है, उसकी पत्नी और बच्चे से पहले बातचीत थी परन्तु बाद में जब बुराई मान गये तो बोलना–चालना बन्द हो गया। पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसके पति दिनेश को कचरा डालने से मना करते थे इसी से दिनेश का परिवार बुराई मानने लगा था, इस विवाद के लगभग एक महीने पहले से उनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही थी।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिपरीक्षा में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कहा है कि उसके पति ऑटो चलाकर शाम को आते थे, घटना के समय मृतक ऑटो चलाकर घर आ गया, इस सम्बन्ध में पी०डब्ल्यू०–1 ने कोई कथन नहीं किया है जब मृतक घटना वाले दिन ऑटो चलाने गया होगा तो शाम को वापस आया होगा तो उस स्थिति में दिनांक–17.08.2022 को 07.45 बजे घटना कारित नहीं हो सकती है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क में पर्याप्त बल प्रतीत इसलिये नहीं होता है क्योंकि पी०डब्ल्यू०–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान के पृष्ठ संख्या–4 पर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना वाले दिन उसके पति ऑटो चलाने गये ही नहीं थे। कूड़ा डालने पर उसके पति 17.08.2022 को दिनेश के पास कहने गये थे कि देखो फिर तुमने कूड़ा डाल दिया। उसके पति दिनेश के पास दोपहर के समय गये थे। यह बात उसके पति ने आकर बताई थी। प्रतिपरीक्षा के इस बयान को उद्धृत करते हुए बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू०–1 के बयानों में गंभीर विरोधाभाष, इस तथ्य को लेकर दर्शित हो रहा है कि उसने एक तरफ यह कहना है कि दोपहर के समय मृतक दिनेश के पास यह कहने गया था कि देखो तुमने फिर से कूड़ा डाल दिया, दूसरी तरफ यह कहना है कि दोपहर के घर कूड़ा डालने वाली बात को लेकर गये थे उस समय दिनेश वहीं नहीं मिला था।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क को पी०डब्ल्यू०–1 के इस बयान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये कि दोपहर में दिनेश घर पर नहीं मिला था व उसके पति दिनेश के बच्चे से कह आये थे कि तुम लोगों ने फिर कचरा डाल दिया। प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कथन किया है कि जब दिनेश आया था तब रात का समय था, अंधेरा था पर लाईट थी। पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि जब दिनेश आया था तब वह पहले वाले कमरे में था, दिनेश आया था उसके पति और दिनेश की बातचीत धीरे–धीरे होती रही। प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह भी कथन किया है कि उसके पति और दिनेश की बातचीत धीरे–धीरे होती रही ज्यादा देर बात नहीं हुई जिस समय जॉन, लखपत अहिरवार और सानू आये, उस समय उसके पति बेहोश थे, वह अपने पति के पास ही खड़ी थी। जॉन, लखपत और सानू उस समय उसकी जीने से आये थे जिस जीने से वापस गये थे। दिनेश ने चाकू दिखाये थे उसी के डर के मारे वह पीछे हट गई थी। पी०डब्ल्यू०–1 की प्रतिपरीक्षा के इस कथन में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का स्पष्टीकरण है कि जिस समय बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि यदि पी०डब्ल्यू०–1 वादिनी मुकदमा उसके समक्ष उसकी पति पर अभियुक्त ने चाकूओं से कई हमले किये तो वादिनी मुकदमा को उसके बचाव में सामने आना चाहिये था। पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि उसके पति ने भी दिनेश के चाकू मारने से पहले बचाव नहीं किया, इस कथन के सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति पर चाकुओं से हमला होता है तो वह व्यक्ति हमले बचने का प्रयास करता है परन्तु पी०डब्ल्यू०–1 ने यह बयान किया है कि उसके पति ने अपना बचाव नहीं किया है, इससे यह दर्शित होता है कि पी०डब्ल्यू०–1 ने घटना देखी ही नहीं।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये तर्क में इसलिये बल प्रतीत नहीं होता क्योंकि चाकू से हमला करने पर यह आवश्यक नहीं है कि हमला जिस व्यक्ति पर हुआ है वह प्रत्येक स्थिति में स्वयं को बचाने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्ष के बयान में यह कथन किया है कि वह बिलकुल अपने पति के पास खड़ी थी, दिनेश आया और धाड़–धाड़ (चाकू मारता रहा) करने लगा और उसने कोई बातचीत नहीं की। वह लगभग 10 मिनट से ज्यादा धाड़–धाड़ (चाकू मारता रहा) जब दिनेश ने पहली बार चाकू मारा तब उसके पति नीचे गिर गये थे, गिरने का मतलब है कि वह बैठ टाईप गये थे। उसके पति सीढ़ी पर पैर लटका कर बैठे थे। यह झगड़ा उसके दरवाजे पर नहीं हो कर जीने पर हो रहा था। चाकू पर दोनों तरफ धार थी जो गुप्ती टाईप की थी। जब उसके पति सीढ़ी पर बैठे थे तब उनके सीना पैरों पर लग रहा था, उनके सीने और पैरों पर कोई चोट नहीं आई थी। गिरने के बाद तीन वार और किये, उसके पति बेहोश होकर गिर गये थे। तब वह पूरे होशोहवास में थे, उसके पति जिने पर दूसरे तल पर आ गये थे। दूसरे तल पर जो शुरूआत वाला जीना था उस पर उसके पति लुढ़क कर आ गये थे, दूसरे तल पर दिनेश लगभग 10 मिनट तक मारपीट करता रहा। पी०डब्ल्यू०–1 का उपरोक्त बयान घटना का इस प्रकार विवरण प्रस्तुत करता है जैसा कि एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रतिपरीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–6 पर पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कहा है कि जब दिनेश बातचीत कर रहा था तब वह कमरे के बाहर ही थी, अन्दर नहीं थी। दिनेश कह रहा था हम कचड़ा नहीं हटायेंगे तुम्हें जो करना है कर लो। उसने उसे और उसके पति को बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिये वह कुछ कह नहीं पाये। जिस समय वह बातचीत कर रहे थे उस समय चाकू नहीं लिये थे। यह बात सही है कि चिल्लाने पर ब्लाक के लोग आ गये थे। जो लोग आ गये थे उन सब का नाम वह नहीं जानती है। पी०डब्ल्यू०–1 के कथन को उद्धृत करते हुए यह तर्क प्रस्तु किया गया है कि यदि शोर सुनकर ब्लाक के लोग आ गये थे और उनको वादिनी मुकदमा पहचानती है तो निश्चित रूप से स्वयं उनका नाम जानती और बताती परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता है कि वादिनी मुकदमा घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थी।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये तर्क में पर्याप्त बल नहीं है क्योंकि उसके पति पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया था जिस समय हमला किया गया था उस समय पी०डब्ल्यू०–1 से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने पति को संभालने के बजाय आसपास के लोगों की पहचान करे।

पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा में बयान किया है कि उसके बच्चे आने पर उसके पति दिनेश वाले ही तल पर पड़े रहे, उनका खून बहता रहा, पूरे जीने और फर्श पर खून बह गया था। प्रतिपरीक्षा में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह भी कथन किया है कि उसके पति के पड़े रहने और खून बहने के दौरान उसने खून रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के समक्ष उसके पति पर जानलेवा हमला चाकुओं से किया गया तो उस स्थिति में पी०डब्ल्यू०–1 से यह अपेक्षित था कि वह मृतक की चोटों से निकल रहे खून को रोकने का प्रयास करती। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि पी०डब्ल्यू० –1 के खून रोकने के प्रयास न करने मात्र से उसके बयान को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है। प्रतिपरीक्षा के दौरान पी०डब्ल्यू०–1 ने यह बयान किया है कि उसके तीनों बेटों ने ही घटास्थल से उसके पति को उठाया था।

प्रतिपरीक्षा में पी०डब्ल्यू० –1 ने पृष्ठ संख्या–7 पर बयान किया है कि जब उसके पति को उठाया था उसके बेटों के कपड़ों पर खून लग गया था और उसने लगा हुआ खून देखा भी था। उसके तीनों बेटों के कपड़ों पर खून लगने का पी०डब्ल्यू० –1 का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें पृष्ठ संख्या –7 पर यह कथन है कि उसके पति उस समय मात्र अण्डरबियर पहने हुए थे क्योंकि उस समय वह घर पर लेटे हुए थे। मृतक भगवान दास के शव के पंचायतनामा प्रर्श क–11 में मृतक के शव पर सफेद रंग की अण्डरबियर पहने होना पाया गया। इसी प्रकार भगवानदास के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक के शरीर पर सफेद रंग की अण्डरबियर होना दर्शित है। मृतक के शव पर जो कपड़ा पी०डब्ल्यू०–1 के बयान में दर्शित है वही कपड़ा उसके पंचायतनामा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दर्शित है जो पी०डब्ल्यू०–1 की प्रतिपरीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–7 की पुष्टि करता है। उसके बयान की विश्वसनीयता को प्रमाणित कर रही है।

प्रतिपरीक्षा के के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने पृष्ठ संख्या–7 पर यह कथन किया है किउसके पति की मृत्यु रास्ते में हो गई थी, इस बात को जानकारी उसके बेटों ने दी थी। उसने अपने पति को उठाने में सहयोग नहीं किया था इसलिये उसके किसी भी कपड़े में खून नहीं लगा था। उसके बेटों ने शव को मेडिकल में जमा करके रात में दो बजे आ लौट आये थे।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक भगवानदास शराब के नशे का का आदी था, शराब करके वह घर में मारपीट करता था। जिस कारण उसके परिवार के द्वारा मृतक भगवानदास को चोट पहुंचाया गया और चोट पहुंचान् के बाद उसे अत्यधिक विलम्ब से अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया, अधिक रक्तस्त्राव होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क में पर्याप्त बल इसलिये नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त शराब के नशे का आदी था और उसके परिवार के लोग उसकी हरकतों से परेशान थे। प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कथन किया है कि यदि दूसरे तल पर कोई व्यक्ति भूतल से उतर कर भागे तो वह नहीं देखा पायेगी कि वह किस तरफ गया है। उसने दिनेश के रेलवे लाईन की ओर भागने की बात किसी के बताने के पर कही थी। पी०डब्ल्यू०–1 ने प्रतिपरीक्षा में कतन किया है कि घटना वाले दिन उसके पति की तबियत ठीक न थी इसलिये वह ऑटो नहीं चलाने गये थे, उसके पति को बेटे सुबह करारी डाक्टर को दिखाने गये थे और दवा दिलवाये थे। उसके पति घटना के दो–तीन दिन पहले से बीमार थे और घर पर आराम करते थे। घटना के दिनांक को दोपहर में उसके पति बीमारी के अवस्था में दिनेश के घर गये थे। उसने इसलिये नहीं मना किया था क्योंकि वह बिना बताये चले गये थे जब वह अन्दर गई थी तब तब वह घर पर नहीं थे। वह उसके सामने गये थेतब उसने सोचा कि वह नीचे जा रहे हैं उसने यह नहींपता था कि वह किस लिये जा रहे हैं।

अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक पी०डब्ल्यू० –1 के बयान के अनुसार 2–3 दिन से खांसी–बुखार से पीड़ित था इसके बावजूद भी वह अभियुक्त दिनेश के घर पर कचड़े की शिकायत लेकर पहुंच गये यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क में इसलिये बल प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि खांसी–बुखार ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि बीमार व्यक्ति थोड़ा भी चल नहीं सके। यदि मृतक अपने निवास स्थान से एक तल नीचे अभियुक्त दिनेश के घर पर बुखार और खांसी से पीड़ित रहने के दौरान कचड़े की शिकायत करने आता है तो उस स्थिति में यह आशचर्यजनक बात नहीं होगी।

प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह बयान किया है कि घटना वाले दिन जो लोग आ गये थे उनमें से कोई ऑटो नहीं चलाात था और न ही उसके आसपास कोई ऑटो चलाने वाला रहता है, उसके बेटे अपनी ऑटो से ले गये थे, लौट कर उसके बेटों ने बताया था कि एम्बुलेंस बीच में आ गई थी। उसके बच्चों ने उसे नहीं बताया था कि ऑटो से एम्बुलेंस में रखते समय उसके पति जीवित थे या नहीं, बातचीत कर रहे थे या नहीं। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घर से अस्पताल तक उसके बच्चों के साथ आसपास का कोई व्यक्ति नहीं गया था। उसके बच्चों ने उसे फोन पर मेडिकल आने के पहले ही बता दिया था कि पापा जी खत्म हो गये हैं, वह जीवित नहीं है।

प्रतिपरीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–9 पर पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कथन किया है कि दिनांक–17.08.2026 के बाद दिनांक–18 को दरोगा आये थे।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 17 की है रिपोर्ट दिनांक 18 को दर्ज कराई गई है जबकि पी०डब्ल्यू०–1 की अपने प्रतिपरीक्षा में यह कहना है कि दिनांक 17 को ही रिपोर्ट दर्ज कराने गये थे। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 18 को 12.40 एएम पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिनांक 17 व 18 के आधी रात लिखाये जाने के कारण प्रतिपरीक्षा के बयान को रिपोर्ट लिखाने की तिथि 17 को पी०डब्ल्यू०–1 बता दिया गया है तो उससे अभियोजन कथानक और एफआईआर अविश्वसनीय नहीं हो जाती है।

प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्ल्यू०–1 ने यह कथन किया है कि उसने दरोगा जी को बता दिया था कि जब उसके पति दूसरे तल पर आकर गिर गये तब दिनेश ने तीन चाकू मारे थे यदि दरोगा जी ने नक्शा–नजरी में नहीं दर्शाया हो तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती है। यह बात सही है कि पति के दूसरे तल पर आ जाने पर उसके आसपास के लोग भी दिनेश के कमरे के सामने इकट्ठा हो गये थे परन्तु दरोगा जी ने नक्शा–नजरी में न दिखाया हो तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती जो लोग बाहर से बचाने आये थे दिनेश की पीठ उनकी तरफ था।

पी०डब्ल्यू०–1 के दिये बयान को उद्धृत करते हुए अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्ल्यू०–1 के बयान में यह स्पष्ट तौर पर आया है कि जो लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे थे अभियुक्त की पीठ उनकी तरफ थी जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अभियुक्त को अन्य लोगों ने सामने से नहीं देखा , पीछे से देखने पर किसी व्यक्ति की स्वाभाविक पहचान नहीं की जा सकती है। इसलिये अन्य व्यक्तियों द्वारा देखे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये वादिनी मुकदमा के मात्र देखने के आधार पर अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करना नहीं कहा जा सकता है। अभियुक्त की ओर से किए गए उक्त तर्क में इसलिए बल नहीं है कि क्योंकि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जाती है, उसकी संख्या नहीं देखी जाती है। धारा–134 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० –1 ने घटना घटित होने के कारण को, घटना वाले स्थान को, घटना कारित करने वाले व्यक्ति को और घटना कारित करने में प्रयुक्त किए गए हथियार को अपने मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया है। उसके बयान में कोई भी ऐसी विसंगति नहीं है कि जिससे कि उसके बयान को अविश्वसीन करार दिया जाए।

Presence of eyewitness at the place of occurrence when is natural and when there is no infirmity in their evidence and the occurrence takes place in broad daylight and there is no motive to falsely implicate the accused persons, conviction cannot be interfered with State of U.P. v Akhtar Khan 1991 Cr LJ 1779 (All); 1991 All LJ 620; 1990 All Cr R 699. res

Eyewitness to be relied upon in spite of improvement and inconsistency. When the presence of eyewitnesses on the spot is established, their evidence cannot be discarded in spite of improvement and inconsistency–Navganbhai Somabhai v State of Gujarat 1994 Cr LJ 1103 (SC). Evidence of eyewitnesses cannot be discarded on some minor discrepancies–Nonappa Poojari v State of Karnataka 1994 Cr LJ 2185 (SC).

Prosecution case cannot be thrown away on the lone ground of non–production of independent witness. Offence when has been established by evidence corroborated by F.I.R. and medical evidence, search for independent evidence is meaningless–Vilas Jagannath Dere v Ramesh Dere 1989 Cr LJ 1281 (Bom).

There is no legal bar to convict a person on the basis of evidence of sole and lone eyewitness if the same is convincing, reliable and trustworthy–Jaswinder Singh v State of Punjab (2009)3 Crimes 252 (SC).

It is now well settled that evidence of the witness can not be discarded on the ground that he is related witness or sole witness, or both, if otherwise the same has been found to be credible. The witness could be a relative but that does not mean to reject his statement in totality. In such a case it is paramount duty of the Court to be more careful in the matter of scrutiny of evidence of interested witness and if on such scrutiny it is found that the evidence on record of such sole interested is worth credence, the same would not be discarded merely on the ground that the witness is an interested witness.

In Dalip Singh v. The State of Punjab (AIR 1953 SC 364) Hon'ble Supreme Courts has held that A witness is normally to be considered independent unless he or she springs from sources which are

likely to be tainted and that usually means unless the witness has cause, such as enmity against the accused, to wish to implicate him falsely. Ordinarily a close relation would be the last to screen the real culprit and falsely.

In Swaran Singh Vs State of Punjab, AIR 1976 SC 2304 Hon'ble Supreme Courts has held that It is not the law that evidence of interested witness should be equated with that of tainted evidence or that of an approver so as to require corroboration as a matter of necessity. The evidence of an interested witness does not suffer from any infirmity as such, but the Courts require as a rule of prudence, not as rule of law, that the evidence of such witnesses should be scrutinized with a little care. Once that approach is made and the Court is satisfied that the evidence of interested witnesses has a ring of truth, such evidence could be relied upon even without corroboration.

(1B) <u>मृतक के शव के पंचायतनामा एवं शव के पोस्टमार्टम संबंधी अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

मृतक भगवानदास अहिरवार के शव के पंचायतनामा पत्रावली में कागज सं० –8 ए/1 लगायत 8 ए/2 संलग्न है। इस पंचायतनामा को तैयार कराने वाले निरीक्षक देवेश शुक्ला द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। मृतक के शव के पंचायतनामा में राय पंचांन के अनुसार भगवानदास की मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण हुई है। पंचायतनामा में यह उल्लेख किया गया है मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव को एक कपड़े में रखकर सील सर्व मुहर कर एटोप्सी का० 62 कपिल सिंह, का० 759 शिवम कुमार व का० 548 शुभम मिश्रा के सुपुर्द किया गया। पंचायतनामा को तैयार करने वाले साक्षी, पंचायतनामा को तैयार करने वाले उपनिरीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव को पी०डब्लू०–6 के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है। उसने मुख्यपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि उसने मृतक भगवानदास अहिरवार के पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक–18.08.2022 को मोर्चरी पर 11.15 बजे प्रारंभ कर 13 बजे पूर्ण की थी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक देवेश शुक्ला भी आ गए थे, जिनके बोलने पर उसने कार्यवाही अपने लेख में की थी। मौके पर उसके लोगों में से पांच लोगों को पंच नियुक्त किया गया था। पी०डब्लू०–6 ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–18 ए/1 लगायत 18 ए/2 पंचायतनामा को देखकर कहा कि वह उसके लेख व हस्ताक्षर में है जो उसने प्रभारी निरीक्षक के बोलने पर तैयार किया था जिसकी वह तस्दीक करता है उसने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त भी की है। इस साक्षी पी०डब्लू०–6 ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह भी कथन किया है कि वह कागज सं०–18 ए/3 की जी०डी० की पुष्टि करता है। कागज सं०–18 ए/4 शव विच्छेदन प्रार्थना पत्र, कागज सं०–18 ए/5 नमूनाशील, कागज सं०–18 ए/6 पुलिस फार्म नंबर 33, कागज सं०–18 ए/7 चालान शव, कागज सं०–18 ए/8 फोटो नाश की इस साक्षी ने पुष्टि की है। उक्त सभी प्रपत्रों पर क्रमशः प्रदर्श क–12 लगायत क–16 डाला गया है। प्रतिपरीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–6 ने कथन किया है कि जो भी समय पंचायतनामा पर लिखा गया है वह 24 घंटे के फॉर्मेट पर है। इस मुकदमे का पंजीयन थाने पर उसके सामने नहीं हुआ था। पी०डब्लू०–6 ने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि जी०डी० में खुलासे के समय मृतक को गर्दन व मुँह पर भी चोट आनेकी बात लिखी थी। उसने शव का अवलोकन किया था। पी०डब्लू०–6 के बयानों से मृतक के पंचायतनामा संबंधी कार्यवाही प्रमाणित हो रही है। उसके पंचायतनामा में दर्शित विवरण भी प्रमाणित हो रहा है।

पत्रावली में मृतक भगवानदास के शव परीक्षण रिपोर्ट कागज सं० –12 व 16 ए/1 लगायत 16 ए/7 संलग्न की गए हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार करने वाले डॉक्टर

डी०के० राय ने न्यायालय में उपस्थित होकर पी०डब्लू०–2 के रूप में अपने दिए गए बयान से साबित किया है। पी०डब्लू०–2 के बयान के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शॉक एवं हीमोरेज ड्यू टू एण्टीमोर्टम इंजरीज है। पी०एम० रिपोर्ट कागज सं०–16ए/3 में मृतक के शरीर पर 4 एक्सटर्नल इंजरीज दर्शित हैं।

1. Incised wound– 1cm below mid on right side over chest size–2cm x 0.5 cm x 8cm deep.

2. Incised wound– over medial of right cenvicle region size 1cmx0.5cmx0.5cm deep.

3. Incised wound– 9cm medial to left nipple on left side of chest. size– 2cmx0.5cmx10cm deep

4. Incised wound right axilla region 9cm lateral to right nipple 2cmx0.5cmx10cm deep.

मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार करने वाले चिकित्सक डॉ० डी०के० राय ने न्यायालय में स्वयं को परीक्षित कराकर पी०डब्लू०–2 के रूप में साबित किया है। मुख्य परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–2 ने यह कहा है कि दिनांक–18.02.2022 को अपरान्ह 03.10 बजे मृतक भगवानदास का शव पोस्टमार्टम के लिए का० 62 कपिल चाहर, का० 759 शिवम कुमार लेकर आए थे। शव के शरीर पर केवल एक सफेद अण्डरवियर था। शव के शरीर पर 4 Incised wound थे।

1. दाहिनी कालर बॉन के मध्य भाग से 1 सेमी नीचे छाती पर था जिसकी लंबाई 0.2cmx0.5cm थी एवं गहराई 8cm थी।

2. दाहिनी कालर बॉन के अंधरूनी सिरे पर 0.1cmx0.5cmx0.5 गहराई थी।

3 बायीं निप्पल से 0.9cm अंदर की तरफ बायीं ओर छाती पर जिसका आकार 02cmx0.5cmx10cm गहराई थी।

4. दाहिनी आँख में दाहिनी निप्पल से 09cm बाहर की तरफ जिसका आकार 02cmx0.5cmx10cm गहराई थी।

मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम किए जाने के एक दिन के अंदर है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों से होना तथा सदमे और रक्त स्राव था। इस साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–16ए/1 लगायत 16ए/7 को प्रमाणित किया है और उस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। पी०डब्लू०–2 ने मुख्यपरीक्षा के बयान में पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–18ए/1 लगायत 18ए/2 पंचायतनामा, 18ए/3 जी०डी०, 18ए/4 पर प्रमुख चिकित्साधिकारी, 18ए/5 नमूनाशील, 18ए/6 पुलिस फार्म नंबर–33, 18ए/7 चालान शव विच्छेदन, 18ए/8 फोटो नाश पर मुहर लगाकर अपने हस्ताक्षर किए जाना कहा है। पी०डब्लू०–2 ने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि मृतक के चेहरे पर गले और दिल पर कोई चोट नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से यह बहस के दौरान पी०डब्लू० –2 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए उक्त बयान को उद्धृत किया गया है और यह कहा गया है कि मृतक के शव का परीक्षण करने वाले चिकित्सक पी०डब्लू०–2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कहा है कि मृतक के शव पर गर्दन व चेहरे पर कोई चोट नहीं थी। जबकि घटना से संबंधित लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में वादिया मुकदमा ने यह अंकित कराया है कि अभियुक्त ने मृतक के गर्दन व मुँह में भी चाकू से मारा। पी०डब्लू०–1 के रूप में दिए गए अपने बयान में वादिया मुकदमा ने यह कथन किया है कि उसके पति को अभियुक्त ने छाती व गर्दन पर चाकू से वार किया है। पी०डब्लू०–1 के बयान एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में दर्शित मृतक की चोटों में गंभीर विरोधाभाष है जो कि वादिनी के बयान को तथा उसके द्वारा दी गई तहरीर के लिखित तथ्यों को अविश्वसनीय करता है। घटना से संबंधित लिखित तहरीर दिनांकित–18.08.2022 में यह उल्लिखित है कि दिनेश वर्मा ने वादिया के पति भगवानदास की छाती पर 4–5 बार मारा व गर्दन ऊपर भी चाकू से मारा। वादिया मुकदमा ने अपनी

लिखित तहरीर में अभियुक्त द्वारा मृतक की छाती पर चाकू से 4–5 बार मारने का कथन किया है। मृतक के शरीर पर आई चोटों का जो चित्रांकन कागज सं० –16 ए/6 पर है। उसके अनुसार मृतक की 3 चोटें उसकी छाती पर तथा एक चोट छाती व गर्दन के मध्य है। पी०डब्लू०–1 के रूप में दिए गए अपने बयान में वादिनी मुकदमा ने यह कथन किया है कि अभियुक्त दिनेश वर्मा ने उसके पति के सीने एवं गर्दन पर चाकू से हमला किया था। इसलिए बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर दर्शित चोटों के विवरण एवं घटना से संबंधित लिखित तहरीर एवं दर्शित चोटों के विवरण तथा पी०डब्लू०–1 के बयान में उल्लिखित चोटों के विवरण में भिन्नता है और इस कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। अपनी प्रतिपरीक्षा के बयान पृष्ठ सं०–4 पर पी०डब्लू०–2 ने यह कथन किया है कि यह बात सही है कि मृतक को आई 4 चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं जिससे उसकी मौत हो सके, परन्तु यदि मृतक को उपचारण तुरन्त न मिले तो मृतक की मौत हो सकती है। अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के शव का परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने अपने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह कहा है कि मृतक के शरीर में आई चोटें मृतक के शरीर पर आई चोटें ऐसी नहीं थी जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी, परन्तु उपचार न मिले तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मृतक को सही समय पर उपचार नहीं दिलाया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई है। अभियुक्त की उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। अभियुक्त की ओर से किए गए उक्त कथन में पर्याप्त बल इसलिए नहीं है, क्योंकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ शॉक एण्ड हीमोरेज ड्यू टू एण्टीमोर्टम इंजरीज दर्शित है। इसके अतिरिक्त **धारा–299 भा०दं०सं० का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जहाँ की शारीरिक छति से मृत्यु कारित की गई हो वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक छति कारित की हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक छति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की हो, यह समझा जायेगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।**

मृतक भगवानदास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सीने और सीने के ऊपरी भाग में 4 Incised wound दर्शित है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। शव परीक्षण रिपोर्ट में दर्शित चोटें घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–1 के बयानों के अनुकूल है। पी०डब्लू०–1 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा है उसने ही घटना से संबंधित लिखित तहरीर दिनांक–18.08.2022 को 12.30 AM पर संबंधित थाने में दी है। पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा ने लिखित तहरीर में अभियुक्त के द्वारा मृतक को चाकू से वार कर चोट पहुँचाए जाने का कथन किया है।

मृतक के शव का पंचायतनामा दिनांक–18.08.2022 को 13 बजे तैयार किया गया है। इस पंचायतनामा में सूचना देने वाले के कथनानुसार रिपोर्ट के स्वरूप और मृत्यु का कारण अभियुक्त के द्वारा मृतक की छाती, गर्दन व मुँह पर चाकू से वार के कारण दर्शित है। पंचायतनामे में पंचों की राय में भगवानदास मृतक की मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण हुई है। वादिनी मुकदमा ने अपनी लिखित तहरीर और मुख्यपरीक्षा के बयान में मृतक के शरीर के जिन भागों पर अभियुक्त द्वारा वार किए जाने का उल्लेख किया है, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मृतक के शरीर पर उन्हीं भागों पर चोटें पाई गई हैं। मृतक के शव की पंचायतनामा रिपोर्ट एवं उसके शव परीक्षण रिपोर्ट दोनों को क्रमशः पी०डब्लू० –5 एवं पी०डब्लू०–2 के द्वारा नियमानुसार प्रमाणित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–6 जिसके द्वारा मृतक का पंचायतनामा तैयार किया गया है, उसने पंचायतनामा से संबंधित सम्पूर्ण विवरण को अपने मुख्यपरीक्षा के बयान से प्रमाणित किया है। घटना से संबंधित लिखित तहरीर में मृतक को अभियुक्त द्वारा पहुँचाई गई चोटों का जो उल्लेख है उसको पंचायतनामा में उल्लिखित तथ्य तथा मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से समर्थन मिल रहा है।

(1C) **अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी से सम्बन्धित अभियोजन कथानक एवं उससे सम्बन्धित साक्ष्य का विश्लेषणः–**

अभियोजन कथानक के अनुसार 18.08.22 को पुलिस टीम ने रपट संख्या–04 समय 00.40 बजे रवाना होकर अभियुक्त दिनेश वर्मा को समय करीब 03.30 बजे शिवानी तिराहे से गिरफ्तार गिया। अभियुक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाईल कीपैड रंग काला बरामद हुआ था। अभियुक्त के पहने हुए फुल शर्ट में आगे की तरफ खून लगा था तथा शर्ट आगे की तरफ बटन के पास फटी हुई थी जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि भगवान दास को मारते समय उसके खून के छीटें उसकी शर्ट में पड़ गये थे। इसके पश्चात अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त चाकू के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि भगवान दास को मारने के बाद उसने चाकू को कालोनी के पीछे रेलवे लाइन के पास छिपा दिया था यदि आप उसे वहाँ ले चले तो वह चाकू वहाँ से ढूंढकर दे सकता है। पुलिस टीम अभियुक्त को लेकर काशीराम कालोनी के सामने आये जहाँ पर अभियुक्त ने गाड़ी रूकवाया और गाड़ी से उतरकर आगे–आगे चलकर रेलवे लाइन के पास आया रेलवे लाइन के किनारे झाडियो में घुसकर एक अदद चाकू निकालकर जिसमें दोनों तरफ धार लगी हुई है, समय करीब 14.00 बजे दिया और बताया कि इसी चाकू से भगवान दास को मारा था।

अभियोजन के उक्त कथानक को पुष्ट करने के लिये अभियोजन की ओर से मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक निरीक्षक देवेश शुक्ला को पी०डब्लू०–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि दिनांक 18–08–22 को ही रपट सं०–04 से समय 00.40 बजे वह हमराही कां० अजय गुप्ता, कां० धर्मेन्द्र कुमार, कां० दीपक खैनवार व म०कां० रचना, चालक ब्रजभूषण के साथ रवाना हुये थे। अभियुक्त दिनेश वर्मा को करीब 13.30 बजे पकड़ा था। अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने आलाकत्ल चाकू जिससे भगवान दास को मारा, रेलवे लाइन के पास छिपा दिया है। अभियुक्त को बताये गये स्थान पर ले जाने पर उसने रेलवे लाइन के किनारे से एक अदद चाकू निकालकर दिया, जिसमें धार थी। उस चाकू को सील मुहर किया गया था। फर्द मौके पर तैयार की गई थी। इस साक्षी ने सत्र परीक्षण सं० –957/22 में पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5ए को देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो उसने बोलकर का० धर्मेन्द्र से लिखवायी थी, जिसकी वह तसदीक करता है। इस साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की गई है। फर्द बरामदगी पर पी०डब्लू०–5 के क्रम में प्रदर्श क–08 डाला गया है।

पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में आया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में आया है कि अभियुक्त की शर्ट, जो कि उसने गिरफ्तारी की समय पहन रखी थी और गिरफ्तारी के समय उसे उतरवा कर कब्जे में लिया गया था। उस पर खून के छीटें लगे हुये थे। न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद आलाकत्ल चाकू को न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में प्रमाणित किया है। पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में यह कहा है कि यह वही चाकू है जिसे मुल्जिम ने स्वयं निकालकर उसे दिया था।

प्रति–परीक्षा के बयान में पी०डब्लू० –5 ने यह कथन किया है शिवानी तिराहा शिवानी होटल के पास है, जहाँ वाहनों का आवागमन बना रहता है। शिवानी तिराहा काशीराम कॉलौनी से 10 किलोमीटर दूर है। घटना स्थल के मुआयने के बाद जब वह मेडीकल कॉलेज में पहुँच गये तब उसे मुखबिर की सूचना मिली। दिन का समय था। शिवानी होटल खुला होगा। मुखबिर की सूचना मिलने पर वह स्वतंत्र साक्षियों को लेने गया। गवाही देने को कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने अपना नाम पता भी नहीं बताया था। शिवानी तिराहे पर उसने दिनेश वर्मा से पूछतांछ की थी। उसके कहने पर उसके साथ बरामदगी के लिये निकल गया था। बरामदगी काशीराम कॉलौनी के पीछे हुई थी। अभियुक्त ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया था। सड़क के एक तरफ काशीराम कालौनी है दूसरी तरफ रेलवे लाईन है। हम 5–6 लोग थे। सातवां व्यक्ति अभियुक्त था। हम लोगों को कालौनी के लोग दूर से देख रहे थे। पास में कोई नहीं आया था। मृतक का निवास 80–100 कदम दूर होगा। अभियुक्त ने झाड़ियों से निकालकर चाकू हमें दिया था। चाकू की बरामदगी की कार्यवाही हमने उसीस्थान

पर रेलवे लाईन पर की थी, जहाँ से अभियुक्त ने चाकू निकालकर दिया था। गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही के दौरान कालौनी से कोई नहीं आया था।बरामदगी स्थल से मृतक का ब्लाक दिखता है लेकिन उसका कमरा नहीं दिखता है।

बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से पी०डब्लू०–5 के प्रति परीक्षा के बयान का उल्लिखित किया गया है और कहा गया है कि पी०डब्लू०–5 हत्या जैसे मामले की विवेचना कर रहे है। उनके द्वारा हत्या के अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय किसी जनता के गवाहको लेने का कोई सफल प्रयास नहीं किया गया है।अभियुक्त की निशांदेही पर कथित आलाकत्ल चाकू की बरामदगी के सम्बन्ध में भी किसी जनता के स्वतन्त्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया। पी०डब्लू०–5 के द्वारा जो भी गिरफ्तारी एवं अभियुक्त से बरामदगी दर्शाई है वह पूर्णतया संदिग्ध है। उस पर विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–5 विवेचक देवेश शुक्ला के साथ अन्य पुलिसकर्मी कौन–कौन थे। इसका विवरण उन्होनें अपने बयान में दिया है। अपने बयान में उन्होनें यह भी कहा है कि उनके द्वारा गिरफ्तारी के समय आस–पास के लोगों को गवाही के लिये कहा गया। परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ था। पी०डब्लू०–5 ने अभियुक्त की निशांदेही पर चाकू घटना स्थल से 80 से 100 कदम दूर रेलवे लाईन की झाड़ियों से होना कहा है।

वादिया मुकदमा के बयान में यह आया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के उपरान्त घटना में प्रयुक्त चाकू को लेकर वह मौके से भाग गया था। घटना स्थल से दूर झाड़ी में चाकू को फेकें जाने वाली बात अभियुक्त ने पुलिस को बताई थी , जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया है। पी०डब्लू०–5 ने अपने प्रति–परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि बरामदशुदा चाकू लगभग साढ़े 19 सेमी० का है।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–4 हेड कान्सटेबल 248 कृष्ण कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा के बयान में एफ०आइ०आर० नं०–402 दिनांकित 18–08–2022 समय 16.47 बजे अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधि० विरूद्व अभियुक्त दिनेश वर्मा तैयार किया जाना कहा है। मुख्य परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–4 ने यह कथन किया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का खुलासा जी०डी०–50 दिनांकित 18–08–22 समय 16.47 बजे किया था जिसमें आला कत्ल चाकू, एक अदद मोबाइल कीपैड, एक अदद शर्ट रक्तरंजित, सील सर्वमहर मय नमूना मुहर फील्ड यूनिट से प्राप्त ब्लड स्वेब खूनालूद मिट्टी व सादा मिट्टी एक अदद टयूबर्ग बीयर व एक अदद बडवाइजर की कैन बोतल सील सर्वमहर मय नमूना मुहर मय अदद फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पत्र दाखिल किये थे। पी०डब्लू०–4 ने सत्र वाद सं०–957/2022 की पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4ए/1 लगायत 4ए/2 चिक मुताबिक फर्द प्रदर्श क–5 के रूप में प्रमाणित किया है, जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया है। फर्द प्रदर्श क–5 के पुस्त पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है और कागज संख्या–7ए को देखकर गवाह ने कहा है कि यह वही जी०डी० है, जो उसके द्वारा तैयार की गई थी, जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया है।

प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–4 ने यह कथन किया है कि सामान्यतः उसकी ड्यूटी सुबह 08 से रात 08 बजे तक रहती है। थाने पर माल मुहर्रर का कार्य वही देखता है। अभियुक्त दिनेश से बरामद माल की एंट्री उसके द्वारा माल रजिस्टर में की गई थी । प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–4 का यह कथन है कि धारा–4/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना प्रभारी के कहने पर और फर्द बरामदगी के आधार पर दर्ज कर दिया था। पहले उक्त बरामदगी माल का खुलासा जी०डी० में किया था। यह बात सही है कि पहले जी०डी० में खुलासा किया था उसके बाद चिक काटी थी। यह बात सही है कि वादी मुकदमा के द्वारा फर्द के अलावा अन्य कोई तहरीर अलग से नहीं दी गई थी। यह बात सही है कि वादी मुकदमा जो भी सामान बरामदगी कर लाये थे सब सील मुहर था। उसने कोई भी

बरामदशुदा सामान का अवलोकन नहीं किया था जैसा फर्द में लिखा था वैसे ही उसने लिख दिया था।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया हैकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4 हेड कां०–248 कृष्ण कुमार, निरीक्षक देवेश शुक्ला के अधीनस्थ पुलिसकर्मी होने के कारण उनके प्रभाव में आकर फर्द बरामदगी से सम्बन्धित माल का अवलोकन किये बिना ही उसके सम्बन्ध में जी०डी० में उल्लेख करते हुये माल रजिस्टर में माल का विवरण दर्ज कर लिया और उसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कर लिया। पी०डब्लू०–4 के द्वारा प्रति–परीक्षा के बयान में स्पष्ट कहा गया है कि उन्होनें अभियुक्त से बरामद माल किसी भी माल का अवलोकन नहीं किया था। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–4 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि मु०अ०सं०–402/2022 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है, को पुष्ट करने के लिये परीक्षित कराया गया है, उसके द्वारा अभियुक्त के पास से किसी बरामद माल को न्यायालय में साबित नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–4 ने केवल फर्द के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया है। उससे यह अपेक्षित नहीं था कि फर्द बरामदगी के माल जो सील थे, को खोलकर देखता।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा मु०अ०सं०–402/2022 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम विरूद्व अभियुक्त दिनेश वर्मा की विवेचना की गई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि उसने केस डायरी के प्रथम पर्चे के साथ नकल चिक, नकल रपट व गिरफ्तारी प्रपत्र संलग्न किये थे। पर्चा नं–2 में एस०एच०ओ० देवेश शुक्ला व फर्द गवाह कांस्टेबल अजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल दीपक खेनवार का बयान अंकित किया व वादी को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या–9ए संलग्न है। बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी को पी०डब्लू०–7 के द्वारा प्रमाणित करने पर उसपर प्रदर्श क–17 डाला गया है। इस साक्षी ने सत्र परीक्षण संख्या–957/2022 की पत्रावली में संलग्न आरोपपत्र कागज संख्या–3ए/1 लगायत 3ए/2 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है और उसे प्रमाणित किया है, जो कि प्रदर्श क–18 है।

प्रति–परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–7 ने यह कथन किया है कि उसके थाना प्रभारी देवेश शुक्ला थे वह उनके अधीन था। यह बात सही है कि इस मुकदमें के वादी मुकदमा देवेश शुक्ला हैं। इस मुकदमें की विवेचना हेतु आदेश थाना प्रभारी वादी मुकदमा द्वारा ही दिया गया था।

अभियुक्त की ओर से यह कहा गया है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7 जिनके द्वारा मु०अ०सं०–402/2022 की विवेचना की गई है वह मु०अ०सं०–401/2022 के वादी मुकदमा के अधीनस्थ हैं उससे निष्पक्ष विवेचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती और उन्होनें वादी मुकदमा के कथन अनुसार जो कि मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक भी है, के निर्देशों पर कार्य करते हुये अभियुक्त के विरूद्व मु०अ०सं०–402/2022 में आरोपपत्र प्रेषित कर दिया है। मु०अ०सं०–402/2022 की विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही ही दूषित है और अभियुक्त की निशांदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। मु०अ०सं० –402/2022 के विवेचक पी०डब्लू०–7 की मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक अधीनस्थ होने मात्र से विवेचना को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। विशेषकर उस स्थिति में जबकि अभियुक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल की बरामदगी की गई है और उस आलाकत्ल के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–401/2022 की तहरीर तथा मु०अ०सं०–401/2022 की वादी मुकदमा के बयान में भी उल्लेख किया गया है।

प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–7 ने वादी मुकदमा की निशांदेही पर बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी बनाया जाना कहा है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4,पी०डब्लू०–5 एवं पी०डब्लू०–6 के बयानों से अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू की बरामदगी साबित हो रही है।

पत्रावली में आलाकत्ल चाकू से सम्बन्धित एफ०एस०एल० रिपोर्ट कागज संख्या–23 ए/2 के रूप में संलग्न है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट के अनुसार चाकू मय बेंत पर मानव रक्त पाया गया है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पहने हुये शर्ट का भी परीक्षण किये जाने का उल्लेख है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पहने हुये शर्ट पर भी परीक्षण में मानव रक्त पाया गया है।

Section 27–when attracted and when not. Though major portion of the statement Act but a portion thereof could be held admissible which led to the discovery of made by the accused was inadmissible being hit by ss. 24 to 26 of the Evidence stolen articles–Sanjoy v State (NCT of Delhi) (2001)3 SCC 190; AIR 2001 SC 979; Cr LJ 1231.

In **Mohammed Aslam v State of Maharashtra (2001)9 SCC 362 Hon'ble Supreme Court has held that.**The evidence of the police officer effecting recovery on the information of the accused would not stand vitiated even if the panch witnesses to the recovery The evidence of the police officer effecting recovery on the information of the turned hostile–

In Bodhraj v State of J&K AIR 2002 SC 3164; (2002)8 SCC 45. Hon'ble Supreme Court has held that. The information must come from the accused in custody of police and exact information given by the accused while in custody which lead to the discovery of the articles have to be proved–

Information regarding concealing of the articles of the crime does not lead to the discovery of the article but it leads to the discovery of the fact that the article was concealed at the indicated place to the knowledge of the accused. So when the information leads to the discovery of the fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge and if knife is proved to have been used in the commission of the offence, the fact discovered is very relevant

Bhupan vs state of M.P AIR 2002 SC 820 by Hon'ble Supreme Court– It was held in When the discovery of a sword at the instance of the accused was made, the same was admissible no–doubt under s. 27 of the Evidence Act but in absence of any other satisfactory evidence to connect the accused with the crime of murder only on the basis of such discovery which is admissible under s. 27 of the Evidence Act, the conviction of the accused cannot be sustained. अभियोजन साक्ष्यों से अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी साबित है।

(1D) <u>प्रकरण के विवेचना से सम्बन्धित अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विश्लेषणः–</u>

पत्रावली में अभियोजन की ओर से घटना दिनांक 17–08–2022 से सम्बन्धित है। विवेचना की सम्पूर्ण केस डायरी प्रस्तुत की गई है। केस डायरी –1 में मु०अ०सं० –401/2022 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० की घटना की तिथि 17–08–2022 समय 19.45 बजे अंकित है, जिसकी सूचना दिनांक 18–08–2022 समय 12.40 ए०एम० पर दिये जाना अंकित है। घटना की सूचना घटना के लगभग 5 घंटे बाद सम्बन्धित थाने पर जो

कि 15 किलोमीटर दूर है, दिये जाना दर्शित है।घटना की तहरीर सम्बन्धित थाने में दिये जाने में कोई असामान्य विलम्ब नहीं है। विवेचना से सम्बन्धित सी०डी० –1 में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य अंकित है। एफ०आई०आर० लेखक का बयान अंकित किया गया है। वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया है। घटना स्थल निरीक्षण से सम्बन्धित विवरण अंकित है। समई साक्षी भारत एवं श्रीदयाल के बयान अंकित है। सी०डी० –1 में पेज–14, पेज–15, पेज–16, पेज–17 में अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसकी निशांदेही पर बरामद आलाकत्ल का उल्लेख है। सी०डी० –3 के पृष्ठ–3 पर मृतक के शव का पंचायतनामा करने वाले साक्षी भारत सिंह का बयान अंकित है। सी०डी० –4 के पृष्ठ संख्या–3 पर विवेचक द्वारा पंचायतनामा का अवलोकन किये जाने का तथा पृष्ठ–4 पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने का उल्लेख है। सी०डी० –7 पृष्ठ–6 पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डी०के० राय के बयान विवेचक ने अंकित किये हैं, जिसमें यह आया है कि मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान उसके जिस्म पर 4 चोटें पाई गई थी। इन चोटों के कारण मृत्यु हुई थी। सी०डी० –4 के पृष्ठ–5 पर मृतक के शव का पंचायतनामा तैयार करने वाले उपनिरीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव का बयान विवेचक ने अंकित किया है। इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक देवेश शुक्ला द्वारा दिनांक 18–08–2022 को प्रारम्भ की गई थी। विवेचना के दौरान निरीक्षक देवेश शुक्ला का स्थानान्तरण हो जाने के कारण, शेष विवेचना निरीक्षक जगदीश प्रसाद पाल द्वारा की गई है। विवेचना से सम्बन्धित केस डायरी 1–8 के पर्चे निरीक्षक देवेश शुक्ला द्वारा किता किये गये हैं तथा सी०डी० –9–12 से सम्बन्धित पर्चे निरीक्षक जगदीश प्रसाद पाल द्वारा किता किये गये हैं।

अभियोजन की ओर से मु०अ०सं० –401/2022 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० के विवेचक देवेश शुक्ला को पी०डब्लू० –5 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं, जिसने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया गया है कि उसने वादिया मुकदमा का बयान और उसके पुत्र भारत का बयान अंकित किया था। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर फोटो एवं वीडियोग्राफी की गई थी, ब्लड स्वैब, खूनालूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी कब्जे में ली गई थी, जो की उसको सुपुर्द किया था जो कि उसने मालखाना में दाखिल कराया था। पी०डब्लू० –5 ने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि उसने वादिया की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था, जो कि कागज संख्या–10 ए/2 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है। उसपर उसके हस्ताक्षर है। घटना स्थल की नक्शा–नजरी पर प्रदर्श क–7 डाला गया है। मुख्य परीक्षा के बयान में पी०डब्लू० –5 ने दिनांक 18–08–2022 को अभियुक्त दिनेश वर्मा की निशांदेही पर आलाकत्ल चाकू की बरामदगी का कथन किया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि अभियुक्त दिनेश वर्मा की गिरफ्तारी के समय फुल शर्ट पहने हुये था, जिसपर जगह–जगह खून लगा था। शर्ट बटन के पास फटी हुई थी। अभियुक्त ने बताया था कि खून के छीटें घटना के समय उसके ऊपर पड़ गये थे। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के बयान में पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन किये जाने का कथन किया है। पंचायतनामा को तैयार करने वाले निरीक्षक हिमांशु श्रीवास्तव का बयान अंकित किये जाने का कथन किया है। रक्त रंजित मिट्टी व सादा मिट्टी व अन्य वस्तुयें, बरामदशुदा चाकू का दाखिल कराये जाने का उल्लेख सी०डी० में किये जाने का कथन पी०डब्लू० –5 ने मुख्य परीक्षा के बयान में किया है। पी०डब्लू० –5 ने मुख्य परीक्षा के बयान के पृष्ठ–3 पर यह कथन किया है कि फील्ड यूनिट द्वारा मौके से जो फोटोग्राफ लिये गये थे वह सी०डी० के साथ संलग्न किये गये थे, जो पत्रावली पर कागज संख्या–15 ए/1 लगायत 15 ए/6 के रूप में संलग्न है। कागज संख्या–14 ए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रसीद है, जो उसने दौरान विवेचना संलग्न की है। इस साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान अभियुक्त के पहनी हुई शर्ट जिसपर खून के छीटें लगे हुये थे और उसे गिरफ्तारी के समय उतरवा कर कब्जे में ली गई थी, की पहचान न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में की है। इस साक्षी ने अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद चाकू की पहचान न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–5 के रूप की है। इस साक्षी ने खूनालूदा मिट्टी की पहचान

वस्तु प्रदर्श–7 के रूप में की है और सादा मिट्टी की पहचान वस्तु प्रदर्श–8 के रूप में की है। नमूना कार्टन की पहचान इस साक्षी ने वस्तु प्रदर्श–10 के रूप में की है। पी०डब्लू०–5 के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा के बयान में मृतक के पंचायतनामा को प्रदर्श क –11 के रूप में साबित किया गया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान में कथन किया है कि थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने मृतक की पत्नी व उसके परिवार वाले थे। उक्त सभी लोग उसके सामने थाने आये थे। रात के समय आये थे। पी०डब्लू०–5 की प्रति परीक्षा के इस बयान से अभियोजन कथानक के इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि घटना की तहरीर दिनांक 18–08–2022 को 12 .40 ए०एम० पर थाने पर दी गई थी। पी०डब्लू०–5 का प्रति परीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें उसने यह कहा है कि घटनास्थल पर एक बजे के बाद पहुँचे थे। पी०डब्लू०–5 का प्रति परीक्षा के बयान में यह कथन कि घटना स्थल का नक्शा –नजरी वादिया की निशांदेही पर बनाया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 12.40 को 18–08–2022 को दर्ज की गई थी, जिसके तुरन्त उपरान्त प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–5 देवेश शुक्ला के प्रति परीक्षा के बयान के अनुसार घटनास्थल पर पहुँचे हैं और वादिया जो की घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, की निशांदेही पर घटनास्थल का मानचित्र तैयार किया है। प्रति परीक्षा में पी०डब्लू०–5 का यह कथन है कि अभियुक्त और मृतक अलग–अलग तल पर रहते है। पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि घटना घटित होने वाला ब्लाक तीन मंजिला है। अभियुक्त ब्लाक के भूतल के बाद जो प्रथम तल था, उस पर रहता है। पी०डब्लू०–5 की प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ–4 का उक्त कथन वादिया के बयान के अनुकूल है। वादिया मुकदमा के अनुसार अभियुक्त और मृतक दोनों एक ही ब्लाकमें रहते थे। अभियुक्त ब्लाक के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था जबकि मृतक सेकण्ड फ्लोर पर रहता था। अभियुक्त फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर के सामने कचरा डालता था जिसपर मृतक को आपत्ति थी और वह अभियुक्त को कचरा डालने से मना करता था। इसी बात को लेकर मृतक और अभियुक्त के बीच विवाद हुआ और अभियुक्त ने मृतक पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। इसके अतिरिक्त विवेचक ने अपने बयान के पृष्ठ–4 पर जो कथन किये हैं उससे उसका घटनास्थल पर जाना भी प्रमाणित हो रहा है। प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ–5 पर यह कथन किया है कि वादिया के दरवाजे के सामने जो खाली जगह थी, उसमें घटना नहीं घटित हुई थी बल्कि उसके सामने जो सीढ़ियाँ उतरती है उसपर घटना घटित हुई थी। विवेचक का प्रति परीक्षा का यह बयान अभियोजन कथानक की घटनास्थल के सम्बन्ध में पुष्टी कर रहा है। पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान पेज संख्या–5 पर यह कथन किया है कि खून सीढ़ी से बहकर नीचे की ओर आ गया था, जो खून बहकर आया था प्रथम तल पर खून पड़ा था। पी०डब्लू०–5 के प्रति परीक्षा के बयान के अनुसार वादिया ने अपने बयान में 4–5 बार चाकू मारने की बात बताई थी। विवेचक का प्रति–परीक्षा का बयान इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अभियोजन कथानक की पुष्टि हो रही है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चार चोटें दर्शित की गई है। पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान में पेज–5 पर यह कथन किया है कि वादिया ने उसे बताया था कि घटना सीढ़ी पर घटी थी। उसके कमरे के सामने जो जगह है वहाँ पर कोई घटना नहीं घटी थी। प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–5 ने यह कथन किया है कि उसने अपने नक्शा–नजरी में जो स्थान को दर्शित किया है जहाँ पर अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से हमला किया गया था। घटना से सम्बन्धित नक्शा–नजरी प्रदर्श क–7 पर अभियुक्त द्वारा मृतक को चाकू मारने वाला स्थान x अक्षर से दर्शित किया गया है। यह स्थान सीढ़ी पर दर्शित है।वादिया मुकदमा के बयान के अनुसार घटना सीढ़ी पर घटी थी। अभियुक्त ने मृतक पर सीढ़ी पर हमला किया था। इसप्रकार वादिया मुकदमा के बयान, प्रकरण के विवेचक के बयान तथा विवेचक के द्वारा तैयार किये गये नक्शा–नजरी में दर्शित स्थल में समानता दर्शित हो रही है। विवेचक ने प्रति परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि वादिया घटना को अपने दरवाजे के सामने चबूतरे से सीढ़ी की तरफ से देख रही

थी। विवेचक ने अपने बयान में वादिया मुकदमा की घटना को देखे जाने वाले स्थान की पुष्टि की है। प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–5 ने प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–6 में यह कथन किया है कि मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व चोटों की संख्या–4 बताई थी उसमें डॉक्टर ने चोटों के बारे में पूछा था Lohit Devanagari उन्होनें बताया कि इन्हीं चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हुई है। प्रति परीक्षा के बयान के पृष्ठ संख्या–7 पर प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–7 पर कथन किया है कि सीढ़ियों पर खून के छीटें मौजूद थे।

अभियोजन की ओर से निरीक्षक जगदीश प्रसाद को पी०डब्लू०–8 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा इस प्रकरण में आरोपपत्र सं०–350/2022 प्रस्तुत किया गया है। पी०डब्लू०–8 ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3ए/1 लगायत 3ए/6 कम्प्यूटरीकृत आरोपपत्र को स्वयं के हस्ताक्षर में होना कहा है, जिसपर प्रदर्श क–19 डाला गया है।

पी०डब्लू०–8 ने प्रति परीक्षा के बयान में कथन किया है कि पूर्व विवेचक का ट्रान्सफर हो जाने के उपरान्त उसे विवेचना मिली थी। उसने किसी गवाह का मजीद बयान अंकित नहीं किया।

इस प्रकरण की अधिकांश विवेचना देवेश शुक्ला के द्वारा की गई है, जिन्होनें न्यायालय में उपस्थित आकर अपने बयान से घटना स्थल के नक्शा–नजरी को साबित किया है। उनके द्वारा मृतक के पंचायतनामा को साबित किया गया है।

पी०डब्लू०–5 के रूप में दिये गये बयान प्रकरण के प्रथम विवेचक देवेश शुक्ला ने घटना स्थल के फोटोग्राफ, जो फील्ड यूनिट द्वारा लिये गये थे, उसे साबित किया है। घटनास्थल पर खूनालूदा व मिट्टी संकलित किये जाने व उसको परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० भेजे जाने के तथ्य को भी पी०डब्लू०–5 ने प्रमाणित किया है। पी०डब्लू०–5 के द्वारा अभियुक्त दिनेश वर्मा की गिरफ्तारी की गई है। उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी को पी०डब्लू०–5 ने प्रमाणित किया है। पी०डब्लू०–5 ने इस तथ्य को भी प्रमाणित किया है कि घटना में प्रयुक्त चाकू को परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० भेजा था। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के खून के छीटें डले शर्ट पहने हुये था उसको परीक्षण हेतु एफ०एस०एल० भेजे जाने के तथ्य को भी पी०डब्लू०–5 ने प्रमाणित किया है। इस प्रकरण में विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के उपरान्त आरोपपत्र पी०डब्लू० –8 जगदीश प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे उन्होनें न्यायालय में दिये गये अपने बयान से प्रमाणित किया है। प्रकरण की विवेचना क्रमवार साक्ष्यों का संकलन करते हुये की गई है। विववेचना में ऐसी कोई त्रुटि दर्शित नहीं हो रही है जिसका कि अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

(1E) **<u>बचाव पक्ष के साक्षीगण का न्यायालय में दिये गये मौखिक साक्ष्य का विश्लेषणः–</u>**

विचारण किये जा रहे अभियुक्त ने धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयान में यह कहा है कि उसे झूठा फँसाया गया है। वह शारीरिक रूप से कमजोर है। उसके पेट का पित्त की पथरी, आँत चिपकने के तीन ऑपरेशन हुये हैं। सफाई साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से डी०डब्लू०–1 लखपतराम अहिरवार को परीक्षित कराया गया है। लखपतराम अहिरवार को अभियोजन कथानक में घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना कहा गया है। परन्तु अभियुक्त के बचाव में स्वयं को परीक्षित कराया है। डी०डब्लू० –1 ने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त दिनेश वर्मा को भगवानदास को मारते हुये नहीं देखा था। उसने मृतक भगवानदास को तब देखा जब लोग उसकी लाश को ऑटो में रख रहे थे।

बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार लखपतराम अहिरवार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। परन्तु उसके मुख्य परीक्षा के बयान में आया है कि उसने घटना को होते हुये नहीं देखी।

अभियोजन कथानक जिस लिखित तहरीर 18–08–2022 पर आधारित है उसमें लखपतराम अहिरवार को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। घटना घटित होने का

जो विवरण वादिया मुकदमा ने प्रस्तुतकिया है उससे यह स्पष्ट है कि घटना के समय घटनास्थल पर वादिया मुकदमा, उसके पति भगवानदास तथा अभियुक्त दिनेश वर्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अन्य लोग घटना के बाद पहुँचे थे। डी०डब्लू० –1 का यह भी कहना है कि उसने भगवानदास को तब देखा जब लोग उसकी लाश को ऑटो में रख रहे थे। बचाव साक्षी डी०डब्लू०–1 ने घटना किसी और व्यक्ति द्वारा कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। डी०डब्लू०–1 ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि मृतक को कोई चोट नहीं पहुँचाई गई थी या मृतक किसी अन्य घटना में घायल हुआ था।

इसके विपरीत डी०डब्लू०–1 ने प्रति परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि वह नहीं कह सकता है कि दिनेश वर्मा मुकदमा में झूठा जेल गया था या सही जेल गया था।

बचाव साक्षी डी०डब्लू०–1 के मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक का खण्डन नहीं हो रहा है और न ही अभियोजन कथानक के विपरीत नया तथ्य आ रहा है जिससे यह प्रतीत हो रहा हो कि घटना अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गई हो या मृतक भगवानदास की चाकूसे मारकर हत्या नहीं की गई हो।

अभियुक्त की ओर से डी०डब्लू–2 के रूप में शकील को सफाई साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। भगवान दास तीसरे माले पर रहते थे व दिनेश वर्मा दूसरे माले पर रहते थे। घटना आज से पौने दो साल पहले की है। वह करीब 7.30 बजे काम से लौटकर घर पर पहुँचा। जब उसने शोर सुना तो वह ऊपर गया तो उसने देखा भगवान दास ऊपर पड़े थे। उसकी पत्नी वहाँ रो रही थी। भगवान दास को घायल अवस्था में नीचे लाने के बाद पानी से नहलाया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को बुला दिया। हम सी०एन०जी० ऑटो गाड़ी में चौकी पर ले गये थे। चौकी पर एम्बुलेंस आ गयी थी। तब एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे तभी भगवान दास के दोनों लड़के आ गये। फिर हम लोग भगवान दास को मेडिकल लेकर गये थे।

इस साक्षी ने घटना घटित होने के सम्बन्ध में बयान दिया है। घटना अभियुक्त द्वारा कारित की गई है, इसको देखे जाने से उसने इन्कार किया है। परन्तु इस साक्षी के बयान घटना के उपरान्त मृतक को चौकी, अस्पताल तथा मेडीकल ले जाने के कथन अभियोजन कथानक के अनुरूप है।

बचाव साक्षी डी०डब्लू०–2 का प्रति परीक्षा का बयान महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने कहा है कि यह बात सही है कि दिनेश की भगवानदास से कहा–सुनी, लड़ाई कुछ हुआ हो तो वह नहीं बता सकता। डी०डब्लू० –2 ने यह नहीं कहा है कि मृतक भगवानदास की कहा–सुनी और लड़ाई अभियुक्त दिनेश वर्मा से नहीं हुई थी। डी०डब्लू० –2 के प्रति–परीक्षा के उक्त बयान से यह प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसे लड़ाई–झगड़े की जानकारी उसे न हो। डी०डब्लू०–2 का प्रति–परीक्षा का यह बयान महत्वपूर्ण है जिसमें उसने यह कहा है कि भगवानदास को जब पानी डालकर यह देखा कि खून कहाँ से निकल रहा है ताकि कोई कपड़ा बाँध दे जिससे खून निकला, तब उसने देखा था कि उनके सीने के पास से खून निकल रहा था। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त ने मृतक के सीने पर चाकूओं से वार किया था। अभियुक्त के बचाव में परीक्षित कराये गये साक्षी डी०डब्लू०–2 ने प्रति परीक्षा के बयान में इस तथ्य की पुष्टि की है कि भगवानदास मृतक के सीने के पास से खून निकल रहा था। डी०डब्लू०–2 ने प्रति परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि भगवानदास की हालत ऐसी थी कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी जब मेडीकल ले गये तब उन्होनें दबाकर बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। डी०डब्लू०–2, जो कि अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, ने अपने बयान न्यायालय में अंकित कराये है उसके अनुसार वह मृतक को पहले पुलिस चौकी, उसके बाद मेडीकल कॉलेज ले गया जिस पर उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। डी०डब्लू०–2 के बयान के अनुसार ही भगवानदास के सीने के पास से खून निकल रहा था। डी०डब्लू०–2 के बयान से इस तथ्य की पुष्टि होती है

कि मृतक को जो चोट पहुँचाई गई वह इस प्रकृति की थी की मृतक की मृत्यु उससे हो सकती थी और उससे उसकी मृत्यु हो भी गई।

यद्यपि कि अभियोजन कथानक को तथ्यात्मक रूप से पुष्ट करने के लिये अभियोजन की ओर से केवल एक साक्षी वादिया मुकदमा पी०डब्लू०–1 अंगूरी देवी, जो कि मृतक की पत्नी है, को परीक्षित कराया गया है। परन्तु अंगूरी देवी पी०डब्लू०–1 ने जो बयान न्यायालय में अंकित कराये है। उसके द्वारा घटना की दी गई लिखित तहरीर दिनांक 18–08–2022 के तथा उसके विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सापेक्ष है। पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा अंगूरी देवी के प्रति परीक्षा के बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि उसकी मुख्य परीक्षा के बयान की विश्वनीयता पर प्रश्न चिहन खड़ा किया जा सकें।

धारा–134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार–किसी मामले में, किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तकदीर शमसुद्दीन शेख बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, ए०आई०आर०–2012, एस०सी०–37 में कहा है कि "साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिये, संख्या को नहीं।"

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण किये जा रहे प्रकरण की घटना किन परिस्थितियों में, किस स्थान पर हुई है और वहाँ पर किसी साक्षी की उपस्थिति अपेक्षित है, यह महत्वपूर्ण है। घटनास्थल मृतक एवं अभियुक्त के घर के बाहर सीढ़ियों का है। अभियोजन कथानक में प्रारम्भ से यह आया है कि जब अभियुक्त से मृतक की बातचीत प्रारम्भ हुईऔर विवाद हो रहा था तब उस समय केवल मृतक की पत्नी, मृतक और अभियुक्त ही वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में किसी अन्य साक्षी के द्वारा घटना को देखे जाने की सम्भावना नहीं थी और किसी अन्य साक्षी द्वारा घटना को देखे जाने का उल्लेख घटना से सम्बन्धित लिखित तहरीर में भी नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना में अभियुक्त द्वारा जिस प्रकृति की चोटें और मृतक के शरीर पर जिस भाग पर चोट पहुँचाये जाने का कथन घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वादिया मुकदमा ने किया है उसी प्रकृति की चोटें मृतक के शव विच्छेदन रिपोर्ट में भी आई हैं। मृतक के शव विच्छेदन रिपोर्ट में भी आया है। मृतक के शव विच्छेदन रिपोर्ट, मृतक के शव के पंचायतनामा में उल्लिखित तथ्य वादिया मुकदमा के बयान की पुष्टि कर रहे हैं। अभियुक्त दिनेश वर्मा के पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर, उसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने जो शर्ट पहने रखी थी उसपर खून के छीटें पाये गये हैं। अभियुक्त की शर्ट एवं अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद चाकू पर परीक्षण में मानवरक्त पाया गया है। वादिया मुकदमा ने अपने बयान में घटना का जो स्थान दर्शित किया है, उसकी पुष्टि विवेचक द्वारा तैयार किये गये घटनास्थल के नक्शा–नजरी से हो रहा है। वादिया मुकदमा घटना की एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी है। परन्तु उसके द्वारा मौखिक साक्ष्य में अंकित कराये गये तथ्य की पुष्टि अन्य समर्थनकारी साक्ष्य मृतक के शव के पंचायतनामा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभियुक्त के निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त किये गये चाकू सम्बन्धित साक्ष्य से हो रही है।

अभियुक्त की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी डी०डब्लू०–2 शकील ने प्रति–परीक्षा के बयान में यह कहा है कि भगवानदास के सीने के पास से खून निकल रहा था। भगवानदास की हालत ऐसी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।

बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि वादिया मुकदमा मृतक की पत्नी है। वह हितबद्ध साक्षी है। उसके बयान को बिना किसी स्वतन्त्र साक्षी के समर्थनकारी बयान के अभाव में अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि वादिया मुकदमा पी०डब्लू०–1 अंगुरी देवी, मृतक की पत्नी है। परन्तु घटना के समय उसकी उपस्थिति के आधार पर वह Natural Witness है। वादिया मुकदमा के कथनों की पुष्टि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य समर्थनकारी साक्ष्य, जो

विवेचना में संकलित किये गये है, से हो रही हैं इसलिये केवल वादिया मुकदमा पी०डब्लू० –1 मृतक की पत्नी होने के आधार पर उसकी साक्ष्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

10. In the case of **Vadivelu Thevar vs. State of Madras, A.I.R. 1957 S.C. 614 (V 44 C 91 Sept.)**, Hon'ble Supreme Court has held that:

"In view of these considerations, we have no hesitation in holding that the contention that in a murder case, the court should insist upon plurality of witnesses, is much too broadly stated. Section 134 of the Indian Evidence Act, has categorically laid it down that "no particular number of witnesses in any case, be required for the proof of any fact". The legislature determined, as long ago as 1872, presumably after due consideration of the pros and cons, that it shall not be necessary for proof or disproof of a fact, to call any particular number of witnesses. In England, both before and after the passing of the Indian Evidence Act, 1872, there have been a number of statutes as set out in Sarkar's Law of Evidence—9th Edn., at Pages 1100 and 1101, forbidding convictions on the testimony of a single witness. The Indian Legislature has not insisted on laying down any such exceptions to the general rule recognized in Section 134 quoted above. The section enshrines the well recognized maxim that "Evidence has to be weighed and not counted". Our Legislature has given statutory recognition to the fact that administration of justice may be hampered if a particular number of witnesses were to be insisted upon. It is not seldom that a crime has been committed in the presence of only one witness, leaving aside those cases which are not of uncommon occurrence, where determination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. If the legislature were to insist upon plurality of witnesses, cases where the testimony of a single witness only could be available in proof of the crime would go unpunished. It is here that the discretion of the presiding judge comes into play. The matter thus must depend upon the circumstances of each case and the quality of the evidence of the single witness whose testimony has to be either accepted or rejected. If such a testimony is found by the Court to be entirely reliable, there is no legal impediment to the conviction of the accused person on such proof. Even as the guilt of an accused person may be proved by the testimony of a single witness, the innocence of an accused person may be established on the testimony of a single witness, even though a considerable number of witnesses may be forthcoming to testify to the truth of the case for the prosecution. Hence, in our opinion, it is a sound and well—established rule of law that the Court is concerned with the quality and not with the quantity of the evidence necessary for proving or disproving a fact.

11. It has been highlighted in **Sunil Kumar vs. State Govt. of NCT of Delhi (2003) 11 SCC 367** that:

"As a general rule, the Court can and may act on his testimony of single witness provided he is wholly reliable. There is no legal impediment in convicting a person on a sole testimony of single witness. This is the logic

of Section 134 of Indian Evidence Act, 1872 (in short "the Evidence Act"). But, if there are doubts about the testimony the Courts will insist on corroboration. It is for the Courts to act upon the testimony of witnesses. It is not the number, the quantity, but the quality that is material. The time–honoured principle is that evidence has to be weighed and not counted. On this principle stands the edifice of Section 134 of the Evidence Act. The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy, or otherwise."

12. In **Mahesh and Another vs. State of Madhya Pradesh (2011) 9 SCC 626**, it has been held by Hon'ble Supreme Court that:

"There is no necessity for prosecution to multiply witnesses to prove and establish prosecution case. There is no requirement in law of evidence that any particular number of witnesses is to be examined to proved something. Evidence has to be weighed and not to be counted.'

13. In **Amar Singh vs. State (NCT of Delhi) (2020) 19 SCC 165**, it has been held:

"As a general rule, the Court can and may act on the testimony of single eye witness provided he is wholly reliable. There is no legal impediment in convicting a person on the sole testimony of a single witness. This is the logic of Section 134 of the Evidence Act, 1872. But if there are doubts about the testimony, the courts will insist on corroboration. It is not the number, the quantity but quality that is material. The time honoured principle is that evidence has to be weighed and not counted. On this principle stands edifice of Section 134 of the Evidence Act. The test is whether the evidence is having ring of truth is cogent, credible and trustworthy or otherwise"

14. Section 134 of the Indian Evidence Act, has categorically laid it down that no particular number of witnesses in any case, be required for the proof of any fact. The legislature has mandated, presumably after due consideration of the pros and cons, that it shall not be necessary for proof or disproof of a fact, to call any particular number of witnesses. The section enshrines the well recognized maxim that "Evidence has to be weighed and not counted". The Legislature has given statutory recognition to the fact that administration of justice may be hampered if a particular number of witnesses were to be insisted upon. If the legislature were to insist upon plurality of witnesses, cases where the testimony of a single witness only could be available in proof of the crime would go unpunished. If testimony is found by the Court to be entirely reliable, there is no legal impediment to the conviction of the accused person on such proof. **As the guilt of an accused person may be proved by the testimony of a single witness, the innocence of an accused person may be established on the testimony of a single witness**, even though a considerable number of witnesses may be forthcoming to testify to the truth of the case for the prosecution. The Court

is concerned with the quality and not with the quantity of the evidence necessary for proving or disproving a fact. As a general rule, the Court can and may act on the testimony of single witness provided he is wholly reliable. But, if there are doubts about the testimony the Courts will insist on corroboration. The Court can and may act on the testimony of single eye witness provided he is wholly reliable. In the present set of facts, since the evidence of the PW–3 is wholly reliable and also corroborates with medical evidence, therefore, the accused has been correctly convicted by the trial court.

In Vadivelu Thevar v. State of Madras, 1957 SCR 981: AIR 1957 SC 614, referring to Mahomed Sugal, Hon'ble Supreme Court stated;

On a consideration of the relevant authorities and the provisions of the Indian Evidence Act, the following propositions may be safely stated as firmly established :

(1) As a general rule, a court can and may act on the testimony of a single witness though uncorroborated. One credible witness outweighs the testimony of a number of other witnesses of indifferent character.

(2) Unless corroboration is insisted upon by statute, courts should not insist on corroboration except in cases where the nature of the testimony of the single witness itself requires as a rule of prudence, that corroboration should be insisted upon, for example in the case of a child witness, or of a witness whose evidence is that of an accomplice or of an analogous character.

(3) Whether corroboration of the testimony of a single witness is or is not necessary, must depend upon facts and circumstances of each case and no general rule can be laid down in a matter lice this K and much depends upon the judicial disc of the Judge before whom the case com

Quoting Section 134 of the Evidence Act, their Lordships stated that "we have no hesitation in holding that the contention that in a murder case, the Court should insist upon plurality of witnesses, is much too broadly stated."

The Court proceeded to state;

It is not seldom that a crime had been committed in the presence of only one witness, leaving aside those cases which are not of uncommon occurrence, where determination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. If the Legislature were to insist upon plurality of witnesses, cases where the testimony of a single witness only could be available in proof of the crime, would go unpunished. It is here that the discretion of the

presiding judge comes into play. The matter thus must depend upon the circumstances of each case and the quality of the evidence of the single witness whose testimony has to be either accepted or rejected. If such a testimony is found by the court to be entirely reliable, there is no legal impediment to the conviction of the accused person on such proof. Even as the guilt of an accused person may be proved by the testimony of a single witness, the innocence of an accused person may be established on the testimony of a single witness, even though a considerable number of witnesses may be forthcoming to testify to the truth of the case for the prosecution.

The Court also stated;

There is another danger in insisting on plurality of witnesses. Irrespective of the quality of the oral evidence of a single witness, if courts were to insist on plurality of witnesses in proof of any fact, they will be indirectly encouraging subornation of witnesses. Situations may arise and do arise where only a single person is available to give evidence in support of a disputed fact. The court naturally has to weigh carefully such a testimony and if it is satisfied that the evidence is reliable and free from all taints which tend to render oral testimony open to suspicion, it becomes its duty to act upon such testimony. The law reports contain many precedents where the court had to depend and act upon the testimony of a single witness in support of the prosecution. There are exceptions to this rule, for example, in cases of sexual offences or of the testimony of an approver; both these are cases in which the oral testimony is, by its very nature, suspect, being that of a participator in crime. But, where there are no such exceptional reasons operating, it becomes the duty of the court to convict, if it is satisfied that the testimony of a single witness is entirely reliable.

In the leading case of Shivaji Sahebrao Bobade v. State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793, Hon'ble Supreme Court held that even where a case hangs on the evidence of a single eye witness it may be enough to sustain the conviction given sterling testimony of a competent, honest mark though as a rule of prudence courts call for corroboration.

In Anil Phukan v. State of Assam, (1993) 3 SCC 282: JT 1993 (2) SC 290, Hon'ble Supreme Court observed; "Indeed, conviction can be based on the testimony of a single eye witness and there is no rule of law or evidence which says to the contrary provided the sole witness passes the test of reliability. So long as the single eye-witness is a wholly reliable witness the courts have no difficulty in basing conviction on his testimony alone. However, where the single eye witness is not found to be a wholly reliable witness, in the sense that there are some circumstances which may show that he could have an interest in the prosecution, then the courts generally insist upon some independent corroboration of his testimony, in

material particulars, before recording conviction. It is only when the courts find that the single eye witness is a wholly unreliable witness that his testimony is discarded in toto and no amount of corroboration can cure that defect."

In Kartik Malhar v. State of Bihar, (1996) 1 SCC 614 : JT 1995 (8) SC 425, Hon'ble Supreme Court referring to several cases, stated; "On a conspectus of these decisions, it clearly comes out that there has been no departure from the principles laid down in Vadivelu Thevar case and, therefore, conviction can be recorded on the basis of the statement of a single eye witness provided his credibility is not shaken by any adverse circumstance appearing on the record against him and the court, at the same time, is convinced that he is a truthful witness. The court will not then insist on corroboration by any other eye witness particularly as the incident might have occurred at a time or place when there was no possibility of any other eye witness being present. Indeed, the courts insist on the quality, and, not on the quantity of evidence." **In Chittar Lal v. State of Rajasthan, (2003) 6 SCC 397: JT 2003 (7) SC 270**, **Hon'ble Supreme Court** had an occasion to consider a similar question. In that case, the sole testimony of a young boy of 15 years was relied upon for recording an order of conviction. Following Mohamed Sugal and reiterating the law laid down therein, this Court stated:

"The legislative recognition of the fact that no particular number of witnesses can be insisted upon is amply reflected in Section 134 of the Indian Evidence Act, 1872 (in short 'Evidence Act'). Administration of justice can be affected and hampered if number of witnesses were to be insisted upon. It is not seldom that a crime has been committed in the presence of one witness, leaving aside those cases which are not of unknown occurrence where determination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. If plurality of witnesses would have been the legislative intent cases where the testimony of a single witness only could be available, in number of crimes offender would have gone unpunished. It is the quality of evidence of the single witness whose testimony has to be tested on the touchstone of credibility and reliability. If the testimony is found to be reliable, there is no legal impediment to convict the accused on such proof. It is the quality and not the quantity of evidence which is necessary for proving or disproving a fact."

in Harbans Kaur v. State of Haryana, (2005) 9 SCC 195, the conviction of the accused was challenged in this Court, inter alia, on the ground that the prosecution version was based on testimony of relatives and hence it did not inspire confidence. Negativing the contention this Court said:

"There is no proposition in law that relatives are to be treated as untruthful witnesses. On the contrary, reason has to be shown when a plea

of partiality is raised to show that the witnesses had reason to shield actual culprit and falsely implicate the accused."

From the above case–law, it is clear that a close relative cannot be characterised as an 'interested' witness. He is a 'natural' witness. His evidence, however, must be scrutinized carefully. If on such scrutiny, his evidence is found to be intrinsically reliable, inherently probable and wholly trustworthy, conviction can be based on the 'sole' testimony of such witness. Close relationship of witness with the deceased or victim is no ground to reject his evidence. On the contrary, close relative of the deceased would normally be most reluctant to spare the culprit and falsely implicate an innocent one.

कृष्णन बनाम राज्य (एआईआर 2003 एससी 2978 में रिपोर्ट किया गया)। (50) यह सर्वविदित बात है कि आम तौर पर गवाह या तो गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं या उनके साक्ष्य कई कारणों से न्यायालयों द्वारा विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं और इसका एक कारण यह है कि उनमें आदतन अपराधी के खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं होता है क्योंकि उन्हें अपने जीवन पर खतरा होने की आशंका होती है। एक देहाती या अनपढ़ गवाह जिरह की परीक्षा का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो कभी–कभी इसलिए हो सकता है क्योंकि वह एक देहाती व्यक्ति है और कुशल जिरह करने वाले द्वारा उससे पूछे गए प्रश्न को समझने में सक्षम नहीं है और कभी–कभी जिरह के तनाव में उससे कुछ उत्तर छीन लिए जाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति का सामना एक चतुर वकील से होता है, तो असंतुलन होना तय है और इसलिए छोटी–मोटी विसंगतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण असामान्य नहीं हैं जहां एक गवाह गवाही देने के लिए इच्छुक नहीं होता है क्योंकि प्रचलित सामाजिक संरचना में वह उदासीन रहना चाहता है। (संदर्भ: कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2002 एससी 1965 में रिपोर्ट)।

धारा–300 भा०दं०सं० के अनुसार हत्या–एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओ को छोडकर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा–

दूसरा– यदि वह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

तीसरा– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा–

चौथा–यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्नसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे। अर्थात

कुछ अपवादों के अध्यधीन आपराधिक मानव वध हत्या होती है– यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गयी है।

1. मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या

2. ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसे अपराधी जानता हो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है, जिसकी वह अपहानि कारित की गयी हो या

3. किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, या

4. यह ज्ञान के साथ किया गया है कि वह कार्य इतना आसन्नसकंटकारी है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करेगा जिससे मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना किया गया हो।

When the accused assaulted the deceased with the Chopper which killed the deceased he had necessary intention to kill the deceased and is guilty of murder– It was held in Velon Kutty v State of Kerala AIR 1998 SC 2888; 1998 Cr LJ 2841. 841

Axe–blow on scalp–intention was to cause death–Chalku v State of Or 1983 Cr LJ 1717; 56 Cut LT 205. Nine incised wounds on vital part of victim's body, injuries being in' ordinary course of nature sufficient to ca death–held clause thirdly to s. 300 is attracted–further proof of intentio cause death not needed–offence is one punishable under s. 302, IPC–Sta Maharashtra v Arun Savalram Pagare 1989 Cr LJ 1918 (Bom); (1989)1 Cr 210.

Finally, This Court is unable to uphold the argument of the learned counsel for the appellant–accused that the case falls under Section 304, II IPC. Considering the nature of weapon used by the accused (knife) and the vital part of the body (chest) of the deceased chosen by him, it was clear that the intention of the accused was to cause such boldly injury as the accused **Dinesh Verma** knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused; so the offence caused by accused Dinesh Verma false under the category sub clause (c) of section–300 IPC that is punishable under section 302 ipc.

विचारण किए जा रहे इस प्रकरण में अभियोजन साक्ष्यों से यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त दिनेश वर्मा ने मृतक भगवान दास को दिनांक–17.08.2022 की शाम 19.45 बजे चाकू से हमला कर इस तरह की चोट पहुँचाई गई जिससे कि उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाते समय हो गई। अभियुक्त दिनेश वर्मा द्वारा कारित अपराध धारा–300 (C) IPC में परिभाषित अपराध की कोटि में आता है।

2. क्या विचारण किए जा रहे अभियुक्त दिनेश वर्मा के कब्जे से दिनांक–18.08.2022 को समय करीब 13.30 बजे शिवानी तिराहा चौकी ग्वालियर रोड पर उसे गिरफ्तार करने के उपरान्त पुलिस ने उसकी निशांदेही पर समय करीब 14 बजे रेलवे लाइन के किनारे से भगवानदास की हत्या में चाकू बरामद किया जिसे रखने का लाइसेन्स अभियुक्त के पास नहीं था।

अभियोजन कथानक के अनुसार 18.08.22 को पुलिस टीम ने रपट संख्या–04 समय 00.40 बजे रवाना होकर अभियुक्त दिनेश वर्मा को समय करीब 03.30 बजे शिवानी तिराहे से गिरफ्तार गिया। अभियुक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाईल कीपैड रंग काला बरामद हुआ था। अभियुक्त के पहने हुए फुल शर्ट में आगे की तरफ खून लगा था तथा शर्ट आगे की तरफ बटन के पास फटी हुई थी जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि भगवान दास को मारते समय उसके खून के छीटें उसकी शर्ट में पड़ गये थे। इसके पश्चात अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त चाकू के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि भगवान दास को मारने के बाद उसने चाकू को कालोनी के पीछे रेलवे लाइन के पास छिपा दिया था यदि आप

उसे वहाँ ले चले तो वह चाकू वहाँ से ढूंढकर दे सकता है। पुलिस टीम अभियुक्त को लेकर काशीराम कालोनी के सामने आये जहाँ पर अभियुक्त ने गाड़ी रूकवाया और गाड़ी से उतरकर आगे–आगे चलकर रेलवे लाइन के पास आया रेलवे लाइन के किनारे झाडियो में घुसकर एक अदद चाकू निकालकर जिसमें दोनों तरफ धार लगी हुई है, समय करीब 14.00 बजे दिया और बताया कि इसी चाकू से भगवान दास को मारा था।

अभियोजन के उक्त कथानक को पुष्ट करने के लिये अभियोजन की ओर से मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक निरीक्षक देवेश शुक्ला को पी०डब्लू०–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि दिनांक 18–08–22 को ही रपट सं०–04 से समय 00.40 बजे वह हमराही कां० अजय गुप्ता, कां० धर्मेन्द्र कुमार, कां० दीपक खैनवार व म०कां० रचना, चालक ब्रजभूषण के साथ रवाना हुये थे। अभियुक्त दिनेश वर्मा को करीब 13.30 बजे पकड़ा था। अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने आलाकत्ल चाकू जिससे भगवान दास को मारा, रेलवे लाइन के पास छिपा दिया है। अभियुक्त को बताये गये स्थान पर ले जाने पर उसने रेलवे लाइन के किनारे से एक अदद चाकू निकालकर दिया, जिसमें धार थी। उस चाकू को सील मुहर किया गया था। फर्द मौके पर तैयार की गई थी। इस साक्षी ने सत्र परीक्षण सं० –957/22 में पत्रावली पर संलग्न कागज सं०–5 ए को देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो उसने बोलकर का० धर्मेन्द्र से लिखवायी थी, जिसकी वह तसदीक करता है। इस साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की गई है। फर्द बरामदगी पर पी०डब्लू०–5 के क्रम में प्रदर्श क–08 डाला गया है।

पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में आया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में आया है कि अभियुक्त की शर्ट, जो कि उसने गिरफ्तारी की समय पहन रखी थी और गिरफ्तारी के समय उसे उतरवा कर कब्जे में लिया गया था। उस पर खून के छीटें लगे हुये थे। न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–3 के रूप में प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद आलाकत्ल चाकू को न्यायालय में वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में प्रमाणित किया है। पी०डब्लू०–5 की मुख्य परीक्षा के बयान में यह कहा है कि यह वही चाकू है जिसे मुल्जिम ने स्वयं निकालकर उसे दिया था।

प्रति–परीक्षा के बयान में पी०डब्लू० –5 ने यह कथन किया है शिवानी तिराहा शिवानी होटल के पास है, जहाँ वाहनों का आवागमन बना रहता है। शिवानी तिराहा काशीराम कॉलौनी से 10 किलोमीटर दूर है। घटना स्थल के मुआयने के बाद जब वह मेडीकल कॉलेज में पहुँच गये तब उसे मुखबिर की सूचना मिली। दिन का समय था। शिवानी होटल खुला होगा। मुखबिर की सूचना मिलने पर वह स्वतंत्र साक्षियों को लेने गया। गवाही देने को कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने अपना नाम पता भी नहीं बताया था। शिवानी तिराहे पर उसने दिनेश वर्मा से पूछतांछ की थी। उसके कहने पर उसके साथ बरामदगी के लिये निकल गया था। बरामदगी काशीराम कॉलौनी के पीछे हुई थी। अभियुक्त ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया था। सड़क के एक तरफ काशीराम कालौनी है दूसरी तरफ रेलवे लाईन है। हम 5–6 लोग थे। सातवां व्यक्ति अभियुक्त था। हम लोगों को कालौनी के लोग दूर से देख रहे थे। पास में कोई नहीं आया था। मृतक का निवास 80–100 कदम दूर होगा। अभियुक्त ने झाड़ियों से निकालकर चाकू हमें दिया था। चाकू की बरामदगी की कार्यवाही हमने उसीस्थान पर रेलवे लाईन पर की थी, जहाँ से अभियुक्त ने चाकू निकालकर दिया था। गिरफ्तारी व बरामदगी की कार्यवाही के दौरान कालौनी से कोई नहीं आया था।बरामदगी स्थल से मृतक का ब्लाक दिखता है लेकिन उसका कमरा नहीं दिखता है।

बहस के दौरान अभियुक्त की ओर से पी०डब्लू०–5 के प्रति परीक्षा के बयान का उल्लिखित किया गया है और कहा गया है कि पी०डब्लू०–5 हत्या जैसे मामले की विवेचना कर रहे है। उनके द्वारा हत्या के अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय किसी जनता के गवाहको लेने का कोई सफल प्रयास नहीं किया गया है।अभियुक्त की निशांदेही पर कथित आलाकत्ल चाकू की बरामदगी के सम्बन्ध में भी किसी जनता के स्वतन्त्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया

गया। पी०डब्लू०–5 के द्वारा जो भी गिरफ्तारी एवं अभियुक्त से बरामदगी दर्शाई है वह पूर्णतया संदिग्ध है। उस पर विश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू०–5 विवेचक देवेश शुक्ला के साथ अन्य पुलिसकर्मी कौन–कौन थे। इसका विवरण उन्होनें अपने बयान में दिया है। अपने बयान में उन्होनें यह भी कहा है कि उनके द्वारा गिरफ्तारी के समय आस–पास के लोगों को गवाही के लिये कहा गया। परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ था। पी०डब्लू०–5 ने अभियुक्त की निशांदेही पर चाकू घटना स्थल से 80 से 100 कदम दूर रेलवे लाईन की झाड़ियों से होना कहा है।

वादिया मुकदमा के बयान में यह आया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के उपरान्त घटना में प्रयुक्त चाकू को लेकर वह मौके से भाग गया था। घटना स्थल से दूर झाड़ी में चाकू को फेकें जाने वाली बात अभियुक्त ने पुलिस को बताई थी , जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया है। पी०डब्लू० –5 ने अपने प्रति–परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि बरामदशुदा चाकू लगभग साढ़े 19 सेमी० का है।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–4 हेड कान्सटेबल 248 कृष्ण कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षा के बयान में एफ०आइ०आर० नं०–402 दिनांकित 18–08–2022 समय 16.47 बजे अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधि० विरूद्व अभियुक्त दिनेश वर्मा तैयार किया जाना कहा है। मुख्य परीक्षा के बयान में पी०डब्लू० –4 ने यह कथन किया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का खुलासा जी०डी० –50 दिनांकित 18–08–22 समय 16.47 बजे किया था जिसमें आला कत्ल चाकू, एक अदद मोबाइल कीपैड, एक अदद शर्ट रक्तरंजित, सील सर्वमहर मय नमूना मुहर फील्ड यूनिट से प्राप्त ब्लड स्वेब खूनालूद मिट्टी व सादा मिट्टी एक अदद टयूबर्ग बीयर व एक अदद बडवाइजर की कैन बोतल सील सर्वमहर मय नमूना मुहर मय अदद फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी पत्र दाखिल किये थे। पी०डब्लू०–4 ने सत्र वाद सं०–957/2022 की पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–4ए/1 लगायत 4ए/2 चिक मुताबिक फर्द प्रदर्श क–5 के रूप में प्रमाणित किया है, जिसपर प्रदर्श क–5 डाला गया है। फर्द प्रदर्श क–5 के पुस्त पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है और कागज संख्या–7ए को देखकर गवाह ने कहा है कि यह वही जी०डी० है, जो उसके द्वारा तैयार की गई थी, जिसपर प्रदर्श क–6 डाला गया है।

प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–4 ने यह कथन किया है कि सामान्यतः उसकी ड्यूटी सुबह 08 से रात 08 बजे तक रहती है। थाने पर माल मुहर्रर का कार्य वही देखता है। अभियुक्त दिनेश से बरामद माल की एंट्री उसके द्वारा माल रजिस्टर में की गई थी । प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–4 का यह कथन है कि धारा–4/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना प्रभारी के कहने पर और फर्द बरामदगी के आधार पर दर्ज कर दिया था। पहले उक्त बरामदगी माल का खुलासा जी०डी० में किया था। यह बात सही है कि पहले जी०डी० में खुलासा किया था उसके बाद चिक काटी थी। यह बात सही है कि वादी मुकदमा के द्वारा फर्द के अलावा अन्य कोई तहरीर अलग से नहीं दी गई थी। यह बात सही है कि वादी मुकदमा जो भी सामान बरामदगी कर लाये थे सब सील मुहर था। उसने कोई भी बरामदशुदा सामान का अवलोकन नहीं किया था जैसा फर्द में लिखा था वैसे ही उसने लिख दिया था।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया हैकि अभियोजन साक्षी 2 पी०डब्लू०–4 हेड कां०–248 कृष्ण कुमार, निरीक्षक देवेश शुक्ला के अधीनस्थ पुलिसकर्मी होने के कारण उनके प्रभाव में आकर फर्द बरामदगी से सम्बन्धित माल का अवलोकन किये बिना ही उसके सम्बन्ध में जी०डी० में उल्लेख करते हुये माल रजिस्टर में माल का विवरण दर्ज कर लिया और उसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित कर लिया। पी०डब्लू०–4 के द्वारा प्रति–परीक्षा के बयान में स्पष्ट कहा गया है कि उन्होनें अभियुक्त से बरामद माल किसी भी माल का अवलोकन नहीं किया था। अभियोजन की ओर से

पी०डब्लू०–4 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि मु०अ०सं०–402/2022 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है, को पुष्ट करने के लिये परीक्षित कराया गया है, उसके द्वारा अभियुक्त के पास से किसी बरामद माल को न्यायालय में साबित नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–4 ने केवल फर्द के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया है। उससे यह अपेक्षित नहीं था कि फर्द बरामदगी के माल जो सील थे, को खोलकर देखता।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–7 उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा मु०अ०सं०–402/2022 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम विरूद्व अभियुक्त दिनेश वर्मा की विवेचना की गई है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि उसने केस डायरी के प्रथम पर्चे के साथ नकल चिक, नकल रपट व गिरफ्तारी प्रपत्र संलग्न किये थे। पर्चा नं–2 में एस०एच०ओ० देवेश शुक्ला व फर्द गवाह कांस्टेबल अजय कुमार गुप्ता, कांस्टेबल दीपक खेनवार का बयान अंकित किया व वादी को साथ लेकर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या–9ए संलग्न है। बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी को पी०डब्लू०–7 के द्वारा प्रमाणित करने पर उसपर प्रदर्श क–17 डाला गया है। इस साक्षी ने सत्र परीक्षण संख्या–957/2022 की पत्रावली में संलग्न आरोपपत्र कागज संख्या–3ए/1 लगायत 3ए/2 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है और उसे प्रमाणित किया है, जो कि प्रदर्श क–18 है।

प्रति–परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–7 ने यह कथन किया है कि उसके थाना प्रभारी देवेश शुक्ला थे वह उनके अधीन था। यह बात सही है कि इस मुकदमें के वादी मुकदमा देवेश शुक्ला हैं। इस मुकदमें की विवेचना हेतु आदेश थाना प्रभारी वादी मुकदमा द्वारा ही दिया गया था।

अभियुक्त की ओर से यह कहा गया है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–7 जिनके द्वारा मु०अ०सं०–402/2022 की विवेचना की गई है वह मु०अ०सं०–401/2022 के वादी मुकदमा के अधीनस्थ हैं उससे निष्पक्ष विवेचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती और उन्होनें वादी मुकदमा के कथन अनुसार जो कि मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक भी है, के निर्देशों पर कार्य करते हुये अभियुक्त के विरूद्व मु०अ०सं०–402/2022 में आरोपपत्र प्रेषित कर दिया है। मु०अ०सं०–402/2022 की विवेचना की सम्पूर्ण कार्यवाही ही दूषित है और अभियुक्त की निशांदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। मु०अ०सं० –402/2022 के विवेचक पी०डब्लू०–7 की मु०अ०सं०–401/2022 के विवेचक अधीनस्थ होने मात्र से विवेचना को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। विशेषकर उस स्थिति में जबकि अभियुक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल की बरामदगी की गई है और उस आलाकत्ल के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–401/2022 की तहरीर तथा मु०अ०सं०–401/2022 की वादी मुकदमा के बयान में भी उल्लेख किया गया है।

प्रति परीक्षा के बयान में पी०डब्लू०–7 ने वादी मुकदमा की निशांदेही पर बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी बनाया जाना कहा है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–4,पी०डब्लू०–5 एवं पी०डब्लू०–6 के बयानों से अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू की बरामदगी साबित हो रही है। पत्रावली में आलाकत्ल चाकू से सम्बन्धित एफ०एस०एल० रिपोर्ट कागज संख्या–23ए/2 के रूप में संलग्न है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट के अनुसार चाकू मय बेंत पर मानव रक्त पाया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध मृतक भगवानदास की हत्या किए जाने का आरोप साबित है और वह धारा–302 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। अभियुक्त दिनेश वर्मा को धारा–302 भा०दं०सं० के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त ने बिना किसी वैध लाईसेन्स के अवैध चाकू को अपने कब्जे में रखा हुआ था। यह तथ्य अभियोजन कथानक से प्रमाणित हो रहा है। इसके लिए अभियुक्त धारा–25

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। अभियुक्त दिनेश वर्मा को धारा –25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल से उपस्थित है। अभियुक्त के दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

दिनांक–09.07.2026 **(शिव कुमार तिवारी)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अभियुक्ता एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतक भगवानदास की चाकू से हमला करके हत्या की गई है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य सामाजिक शान्ति तथा कानून व्यवस्था के लिये अत्यन्त घातक है। अभियुक्त के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त का अपराध निकृष्टतम श्रेणी का है, जिसके निवारण प्रभाव (deterrent effect) हेतु अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिया जाना आवश्यक है। समाज में अपराध के प्रति भय हेतु अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से कथन किया गया किअभियुक्त के विगत कई वर्षों से जेल में निरूद्ध रहने के कारण परिवार के आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये, दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अभियुक्त न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है। साथ ही अभियुक्त के विरूद्ध न्यूनतम अर्थदण्ड का आदेश पारित किये जाने की भी याचना की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त **दिनेश वर्मा** को धारा–302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980(2) SCC 684** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही पारित **मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) SCC 470** की विधि व्यवस्थाओं में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने वाले मामलो में आजीवन कारावास की सजा दिया जाना नियम है तथा मृत्युदण्ड का दिया जाना एक अपवाद है। उक्त प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालयों ने मृत्युदण्ड को विरल में से विरलतम मामलो में ही दिये जाने को उचित माना है। वर्तमान प्रकरण का विरल की कोटि का होना संभव है, किन्तु न्यायालय के मत में वर्तमान प्रकरण विरल में से विरलतम की कोटि के अन्तर्गत आता प्रतीत नहीं होता है,जिस कारण न्यायालय अभियुक्त को मृत्यु से दण्डित किया जाना उचित नहीं पाता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को जघन्य बताते हुये मृत्युदण्ड की याचना की गई है। यद्यपि यह सत्य है कि दोषसिद्ध अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17.08.2022 की घटना में मृतक भगवानदास को चाकू से हमला करके मृत्यु जैसे जघन्य अपराध को कारित किया जाना साबित हुआ है, किन्तु मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कारित अपराध को विरल से विरलतम की श्रेणी का होना नहीं पाया गया है। इस कारण मात्र दोषसिद्ध अभियुक्त को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायालय उचित नहीं पाता है।

अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त के सन्दर्भ में अभियुक्त की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुये, न्यायालय समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर दोषसिद्ध अभियुक्त के विरूद्व निम्न दण्डादेश पारित किया जाना उचित एवं विधि सम्मत पाता है –

धारा–302 भा०दं०सं० के अंतर्गत कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000 रुपए के अर्थदण्ड से व अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा से दण्डित किया जाए।

धारा–4/25 भारतीय आयुध अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेश वर्मा को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा से दण्डित किया जाए।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या –**921/2022**, मु०अ०सं०–**401/2022,** थाना–**सीपरी बाजार** धारा–**302 भा०दं०सं०** के अंतर्गत कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त **दिनेश वर्मा** को **आजीवन कारावास** की सजा तथा **10,000 रुपए के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा **6 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण संख्या –**957/2022,** मु०अ०सं०–**402/2022,** थाना–**सीपरी बाजार,** धारा–**4/25 भारतीय आयुध अधिनियम** के अंतर्गत कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त **दिनेश वर्मा** को **3 वर्ष** के कठोर कारावास तथा **1,000 रुपए के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त द्वारा **1 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त की प्रकरण में निरूद्ध अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार किया जाये। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये।

निर्णय व आदेश की एक प्रति नियमानुसार सम्बन्धित कारागार के अधीक्षक को तथा एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, झांसी को प्रेषित की जाये।

दिनांक–09.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त उद्घोषित किया गया।

दिनांक–09.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)